بسم الله الرحمن الرحيم

لا إله إلا الله محمد رسول الله

अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं मुहम्मद[स०] अल्लाह के रसूल हैं।

Vol - 24
Issue - 07

राह-ए-ईमान

जुलाई
2022 ई०

ज्ञान और कर्म का इस्लामी दर्पण

सम्पादक
फ़रहत अहमद आचार्य

उप सम्पादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद M.A.
इब्नुल मेहदी लईक M.A.

संपादक - मंडल
फज़ल नासिर

सेटिंग
फ़रहत अहमद आचार्य

टाइटल डिज़ाइन
इब्नुल मेहदी लईक M.A.

मैनेजर
अतहर अहमद शमीम M.A.

कार्यालय प्रभार
सय्यद हारिस अहमद

विषय सूचि

1. पवित्र क़ुरआन 2
2. पवित्र हदीस 2
3. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अमृतवाणी 3
4. रूहानी ख़ज़ायन (तजल्लियात-ए-इलाहिया अर्थात ख़ुदा की चमकारें) 4
5. सम्पादकीय 6
6. सारांश ख़ुत्बः जुम्अः (दिनांक 13.5.2022) 8
7. हज़रत आईशा के विवाह तथा बिदाइ के समय उनकी आयु 12
8. हज़रत मुहम्मद स.अ.व. के सर्वोत्तम आदर्श की कुछ घटनाएँ 20
9. स्वस्थ समाज के निर्माण में इस्लाम धर्म की शिक्षाएं 22
10. दारुल सनाअत; अहमदिया व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र 27
11. सामान्य ज्ञान 28
12. पत्रिका के बारे में कृपया अपना फीडबैक (प्रतिक्रिया) अवश्य दें 32

☆ ☆ ☆

पत्र व्यवहार के लिए पता :-
सम्पादक राह-ए-ईमान, मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत,
क़ादियान - 143516 ज़िला गुरदासपुर, पंजाब।
Editor Rah-e-Iman, Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat,
Qadian - 143516, Distt. Gurdaspur (Pb.)
Fax No. 01872 - 220139, **Email : rahe.imaan@gmail.com**
Editor- 9115040806, Manager- 9815639670

लेखकों के विचार से अहमदिया मुस्लिम जमाअत का सहमत होना ज़रूरी नहीं

वार्षिक मूल्य: 130 रुपए

Printed & Published by Shoaib Ahmad M.A. and owned by Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat Qadian and Printed at Fazle Umar Printing Press, Harchowal Road, Qadian Distt. Gurdaspur 143516, Punjab, INDIA and Published at Office Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat, P.O. Qadian, Distt. Gurdaspour 143516 Punjab iNDIA. Editor Farhat Ahmad

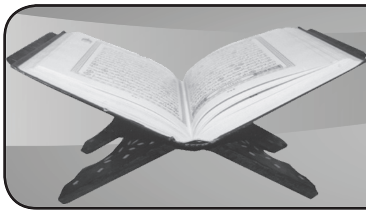

पवित्र क़ुरआन

(अल्लाह तआला के कथन)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ۔ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ
اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱﴾ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۔

अनुवाद: ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल न कर दें और जो ऐसा करें तो यही हैं जो घाटा खाने वाले हैं। और ख़र्च करो इस में से जो हमने तुम्हें दिया है पूर्व इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाये तो वह कहे कि: हे मेरे रब! काश तू ने मुझे थोड़े समय तक मोहलत दी होती तो मैं ज़रूर सदक़ा (दान दक्षिणा) देता और नेक लोगों में से हो जाता। और अल्लाह किसी जान को, जब उस का निर्धारित समय आ पहुंचा हो, तो हरगिज़ मोहलत नहीं देगा। (सूरः मुनाफ़िक़ून 10-12)

पवित्र हदीस

(हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन)

अनुवाद: हज़रत अनस वर्णन करते हैं कि मैंने आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि पाप से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। जब अल्लाह तआला किसी इंसान से प्यार करता है तो गुनाह उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अर्थात् गुनाह की प्रेरणाएँ उसे बुराई की ओर आकर्षित नहीं कर सकतीं और गुनाह के बुरे नतीजे से अल्लाह तआला उसे सुरक्षित रखता है। फिर हुज़ूर ने यह आयत पढ़ी- "अल्लाह तआला तौबा करने वालों और पवित्रता धारण करने वालों से प्यार करता है।" निवेदन किया गया कि हे अल्लाह के रसूल! तौबा की निशानी क्या है? आप ने फ़रमाया- लज्जा और शर्मिंदगी तौबा की निशानी है। (अद्दुरुल मन्सूर भाग 1 पृष्ठ 261)

अनुवाद: हज़रत वासिलह की रिवायत है कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाता है- मैं अपने बन्दे के गुमान (अनुमान) के अनुसार स्वयं को उस पर ज़ाहिर करता हूँ इसलिए जैसा वह मेरे बारे में गुमान करे ऐसा ही मेरा उस से व्यवहार होता है।

(बुख़ारी किताबुल तौहीद)

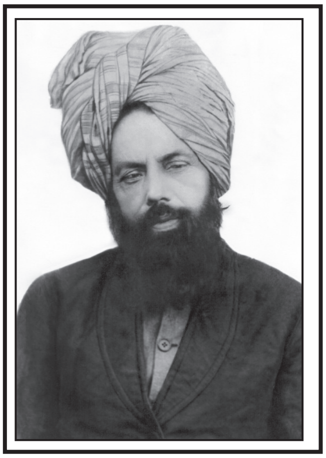

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अमृतवाणी

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

''वह जो अरब के मरूस्थलीय देश में एक आश्चर्य जनक घटना हुई कि लाखों मुर्दे थोड़े ही दिनों में जीवित हो गए और पीढ़ियों के बिगड़े ईलाही-रंग पकड़ गए तथा आँखों के अन्धे सुजाखे हो गए, मूकों की वाणी से ईश्वरीय तत्व-ज्ञान की चर्चा होने लगी और संसार में देखते ही देखते एक ऐसी क्रान्ति उत्पन्न हुई कि न पहले उस से किसी आँख ने देखी और न किसी कान ने सुनी। कुछ जानते हो वह क्या था? वह एक अल्लाह में लीन और उसी में खोए हुए की अंधेरी रातों की दुआएँ ही थीं, जिन्होंने दुनिया में शोर मचा दिया और वह आश्चर्यजनक कार्य किए जो उस निरक्षर (हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) असहाय और साधनहीन व्यक्ति से असम्भव दिखाई देते थे:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ ...

अर्थात् हे मेरे अल्लाह! हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और आपके समस्त अनुयायियों पर रहमत और सलामती और बरकत नाज़िल फ़र्मा जिस ने इस उम्मत मुस्लिमा (इस्लाम) के लिए कष्ट उठाए और यातनाएँ सहीं और आप पर अपनी रहमत की वर्षा सदैव बरसा। तथास्तु।''

(रूहानी ख़ज़ायन भाग-6, बरकातुदुआ पृष्ठ-10,11)

इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर आप फ़रमाते हैं :- ''क्या यह आश्चर्य-जनक घटना नहीं कि एक निर्धन अशक्त, निस्सहाय-निरूपाय, निरक्षर, अनाथ अकेला और निरीह व्यक्ति ऐसे युग में कि जिसमें प्रत्येक जाति आर्थिक सैनिक और बौद्धिक (शिक्षा सम्बन्धी) दृष्टि से पूर्ण शक्तिशाली थी-ऐसी अनुपम शिक्षा लाया कि अपने अकाट्य तर्कों ओर ज्वलन्त प्रमाणों से सब को निरुत्तर करके उनका मुंह बन्द कर दिया। बड़े बड़े लोगों की जो धुरन्धर विद्वान और दार्शनिक कहलाते थे। महान त्रुटियाँ निकालीं और फिर बावजूद निस्सहाय निरूपाय के जोर भी ऐसा दिखाया कि सम्राटों को सिंहासनों से गिरा दिया और उन्हीं सिंहासनों पर निर्धनों को बिठाया। यदि यह ख़ुदा तआला का समर्थन और उसकी सहायता नहीं थी तो और क्या थीं? क्या समस्त संसार पर बुद्धि, विद्या और शक्ति कि दृष्टि से आधिपत्य पा जाना बिना ईश्वरीय सहायता के हुआ करता है? (रूहानी ख़ज़ायन भाग-1, बराहीन अहमदिया पृष्ठ-119)

☆ ☆ ☆

रूहानी ख़ज़ायन
तजल्लियात-ए-इलाहिया (ख़ुदाई चमकारें)
(हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित)

उपरोक्त प्रश्न का दूसरा उत्तर यह है कि छोटी-छोटी घटनाओं की भविष्यवाणियां यद्यपि कि ख़ुदा के मुर्सलों की सच्चाई की वे भी एक पर्याप्त दलील हैं क्योंकि मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से उन भविष्यवाणियों में भी दूसरे लोग उन का मक़ाबला नहीं कर सकते, इसके बावजूद जिन लोगों पर वसवस: और भ्रम हावी हैं वे किसी न किसी भ्रम में गिरफ़्तार हो जाते हैं। उदाहरणतया यदि ख़ुदा के किसी मामूर की दुआ से किसी के घर में लड़का पैदा हो या वह मामूर लड़का पैदा होने की ख़बर दे और लड़का हो जाए तो बहुत से लोग कह उठते हैं कि यह कोई विशेष निशान नहीं। बहुत सी औरतों को भी अपने बारे में या पड़ोसी औरत के बारे में स्वप्न आ जाते हैं कि उसके घर में लड़का पैदा होगा और फिर लड़का पैदा भी हो जाता है तो क्या उस औरत को ख़ुदा का नबी या रसूल या मुहद्दिस मान लिया जाए? और यद्यपि ऐसे भ्रमों में ये लोग झूठे हैं परन्तु अशिष्टों की ज़ुबान कौन बन्द करे? और झूठे इसलिए हैं कि हम यह तो नहीं कहते कि किसी एक कथन और एक-दो घटना से किसी का ख़ुदा की ओर से होना सिद्ध हो जाता है ताकि प्रत्येक स्वप्न देखने वाला ख़ुदा का मनोनीत समझा जाए अपितु पहले दावा चाहिए फिर ऐसी भविष्यवाणियां चाहिएं जो अपनी-अपनी मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से उस सीमा तक पहुंच चुकी हों कि जो सामान्य लोगों के स्वप्नों या इल्हामों की भागीदारी उनके साथ वर्जित हो जैसा कि ऐसी भविष्यवाणियां छोटी-छोटी घटनाओं के बारे में जो मेरे द्वारा ख़ुदा ने पूरी कीं उन की संख्या कई हज़ार तक पहुंचती है और कौन है जिसने संख्या और पृष्ठई की दृष्टि से उनका मुकाबला करके दिखाया। कुछ वर्ष हुए कि एक अभागे अनाड़ी ने ऐतराज़ किया था कि मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहिब जो इतनी निष्ठा रखते हैं उनके लड़के का निधन हो गया है। यह ऐतराज़ यद्यपि सर्वथा द्वेष और मूर्खता के कारण था क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्यारह लड़के मृत्यु को प्राप्त हुए थे। परन्तु मेरी दुआ पर ख़ुदा ने मुझ पर प्रकट किया कि मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहिब के घर में लड़का पैदा होगा और उसके शरीर पर फोड़े प्रकट हो जाएंगे ताकि यह इस बात की निशानी हो कि यह वही लड़का है जो दुआ से पैदा हुआ। तो ऐसा ही घटित हुआ और थोड़े ही दिनों के बाद मौलवी साहिब के घर में लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुलहयी रखा गया और उस के जन्म के समय के क़रीब ही उसके शरीर पर बहुत से फोड़े निकल आए जिन के दाग़ अब तक मौजूद हैं। ये फोड़े ख़ुदा ने इसलिए उसके शरीर पर पैदा किए ताकि किसी को यह भ्रम न हो कि यह मामला संयोग से हुआ है दुआ का प्रभाव नहीं और और न इसको भविष्यवाणी पर ठोस तर्क है जैसा कि कभी ऐसा संयोग हो जाता है कि कुछ लोग किसी ऐसे ग़ायब दोस्त की चर्चा करते हैं कि वह इस समय आते तो अच्छा था और अभी वह चर्चा आरंभ ही होती है कि वह स्वयं ही आ जाते हैं। तब लोग कहते हैं आइए साहिब अभी हम आप की चर्चा ही कर रहे थे कि आप आ ही गए। अत: ख़ुदा ने इस भविष्यवाणी के

साथ फोड़ों का निशान बता दिया ताकि मालूम हो कि वह लड़का दुआ के प्रभाव से पैदा हुआ है न कि संयोग से। ऐसे ही मेरे पास हज़ारों नमूने हैं परन्तु अफ़सोस मैं इस संक्षिप्त पुस्तक में उनका वर्णन नहीं कर सकता।

जैसा कि मैं अभी वर्णन कर चुका हूं छोटी-छोटी घटनाओं की भविष्यवाणियां जबकि उन की संख्या हज़ारों तक पहुंच जाए तो इस बात का ठोस तर्क ठहरती हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ पर वे भविष्यवाणियां प्रकट हुई हैं और जो ख़ुदा की ओर से होने का दावा करता है वह वास्तव में ख़ुदा की ओर से है परन्तु जिन के दिलों में सन्देह और भ्रम का रोग है वे फिर भी सन्देहों से नहीं रुकते और तुरन्त कह देते हैं कि अमुक फ़कीर ने भी तो ऐसा ही चमत्कार दिखाया था और अमुक ज्योतिषी साहिब ने भी कुछ ऐसा ही कहा था जो सच-सच निकला। और इस प्रकार से न वे केवल स्वयं गुमराह होते हैं अपितु लोगों को भी गुमराह करते हैं और ये नादान लोग आंख तो रखते हैं परन्तु वह आंख प्रत्येक कोने को देख नहीं सकती और दिल तो रखते हैं परन्तु वह दिल प्रत्येक पहलू को सोच नहीं सकता। हमने कब और किस समय कहा कि हमारे अतिरिक्त अन्य किसी को कोई स्वप्न नहीं आता और न कोई इल्हाम होता है। अपितु हमारा अनुभव तो यहां तक है कि कभी एक को भी जिसका दिन-रात व्यभिचार ही पेशा है सच्चे स्वप्न आ सकते हैं। एक चोर भी जिसका पेशा पराए माल की चोरी है स्वप्न के द्वारा किसी सच्ची घटना पर सूचना पा सकता है। हमारा दावा जिसको हम बार-बार लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं वह यह है कि ऐसे स्वप्न तथा ऐसे इल्हाम जो मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से उनकी नौबत हज़ारों तक पहुंच गई हो और कोई उनका मुकाबला न कर सकता हो यह श्रेणी केवल उन लोगों को मिलती है जिन को ख़ुदा की कृपा ने विशेष तौर पर अपना मनोनीत कर लिया है अन्य को कदापि नहीं मिलती। और यह कि अन्य को न होने के तौर पर कोई सच्चे स्वप्न आते हैं या इल्हाम होता है। यह भी ख़ुदा तआला की ओर से मानव-जाति की भलाई के लिए है। क्योंकि यदि वह्यी और इल्हाम का अन्य लोगों पर दरवाज़ा सर्वथा बन्द रहता तो ख़ुदा के रसूलों पर पूर्ण रूप से विश्वास करना उनके लिए कठिन हो जाता और वे कदापि न समझ सकते कि वास्तव में इन नबियों पर वह्यी उतरती है या धोखा है या केवल भ्रमों में ग्रस्त हैं। क्योंकि मनुष्य की यह आदत है कि जिस बात का उसको नमूना नहीं दिया जाता वह पूर्ण रूप से उस बात को समझ नहीं सकता। और अन्त में कुधारणा पैदा है जाती है यही कारण है कि यूरोप और अमरीका की मदिरापान करने वाली क़ौमें जिन के मस्तिष्क मदिरापान के कारण खराब हो जाते हैं प्राय: सच्चे स्वप्न के अस्तित्व से भी इन्कारी हैं। क्योंकि अपने पास नमूने नहीं रखते। अत: इसी हित से कोई सच्चा स्वप्न तथा कोई सच्चा इल्हाम नमूने के तौर पर लोगों को सामान्य रूप से दिया गया तो जिस समय उनमें कोई नबी प्रकट हो तो स्वीकार करने की दौलत से वंचित न रहें और अपने दिलों में समझ लें कि यह एक निश्चित वास्तविकता है जिस से चाश्नी के तौर पर हमें भी कुछ दिया गया है अन्तर केवल इतना है कि ये साधारण लोग एक भिखारी के समान हैं जिस के पास कुछ रुपया या कुछ पैसे हैं, परन्तु ख़ुदा के रसूल और ख़ुदा के नबी वे रूहानी देश के★ (तजल्लियात-ए-इलाहिया (ख़ुदाई चमकारें) पृष्ठ 25-28) **समाप्त**

☆ ☆ ☆

★ इस पुस्तक के शेष पृष्ठ नहीं मिल सके। (प्रकाशक)

सम्पादकीय

जिओ और जीने दो

बहुत ही सरल सा सिद्धांत है जीवन का कि **"जिओ और जीने दो"** यदि हर व्यक्ति सरकार, धर्म, संस्थाएं सभी इस सिद्धांत का पालन करें तो जीवन कितना सुखमय होगा इसकी कल्पना मात्र से हृदय प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य के लिए यही संघर्ष बहुत है कि उसे इस महंगाई के दौर में अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, उनके रहन सहन का उपयुक्त प्रबंध करना है, उनकी पढ़ाई-लिखाई तथा रोज़गार की व्यवस्था करनी है, शादी ब्याह करने हैं आदि आदि। अब इस पर धार्मिक झगड़े, राजनीतिक झगड़े, एक दूसरे के धर्म को बुरा भला कहना, अवतारों को गालियां देकर दिल दुखाना, क्या है ये सब? क्या हासिल होता है इससे? इंसान तो पहले ही अपने जीवन निर्वाह के लिए इतना परेशान है ऊपर से यह परेशानियाँ। धर्म तो मानसिक शांति के लिए होता है और राजनीति समाज की उत्तम ढंग से व्यवस्था करने लिए और उनके रोटी, कपड़ा, मकान तथा सुरक्षा के लिए। सब यदि अपना-अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करें तो यह समाज रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि समस्याओं से उभर सकता है और उसका जीवन कुछ सरल हो सकता है यद्यपि कि जीवन स्वयं में बहुत कठिन है निरंतर संघर्ष को चाहता है।

दुर्भाग्य से पूरे देश मे एक आग लगी हुई है कोई धर्म की अग्नि में झोंका जा रहा है, कोई अपने रोज़गार के लिए परेशान है, कोई महामारी से आए संकट से उभर नहीं पा रहा है कि धार्मिक और राजनीतिक संकट देश में व्याप्त हो गया है। क्या है ये सब?? मेरा निवेदन है कि **जिओ और जीने दो**। एक दूसरे का, उसके धर्म का सम्मान करो, किसी के ऋषि, मुनि, अवतार को बुरा भला कह कर उसकी आस्था पे चोट मत करो। हाल ही में मुहम्मद स.अ.व के बारे में एक आपत्ति जनक बयान और फिर उदयपुर की नृशंस घटना से देश का महोल कितना खराब हुआ है। इस पर अहमदिया मुस्लिम जमात बहुत ही दुख व्यक्त करते हुए उसकी कड़ी नींद करती है। इस्लाम हमें कभी भी इसकी अनुमति नहीं देता है और न किसी का अपमान करने की और न कानून अपने हाथ में लेने की। इस विषय पर अहमदिया मुस्लिम जमात की ओर से प्रकाशित प्रेस रिलीज़:

"इस्लाम के संस्थापक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा स.अ.व के पवित्र व्यक्तित्व के बारे में अपमानजनक और मुस्लमानों की भावनाओं को कष्ट पहुंचाने वाले बयानात की जमाअत अहमदिया कड़ी निंदा करती है।

मुस्लमानों की प्रतिक्रिया हमेशा ऐसी होती है और होनी चाहिए जिससे आँहज़रत स अ व की शिक्षा और जीवनी निखर कर सामने आए।

इस्लाम के संस्थापक हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद मुस्तफ़ा स.अ.व के बारे में अपमानजनक बयानात मुसलमानों की भावनाओं को कष्ट पहुंचाने वाले हैं। किसी भी धार्मिक मार्गदर्शक के बारे में इस प्रकार के बयानात देश की शांति को भंग करने वाले होते हैं। इस्लाम के संस्थापक हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद मुस्तफ़ा स अ व ने प्रत्येक धर्म के सम्मानित व्यक्तियों का मान सम्मान करने और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को

भी सम्मान की दृष्टि से देखने की महान शिक्षा दी है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां भिन्न-भिन्न धर्मों से सम्बन्ध रखने वाले एक ही समाज में रहते हैं यहां देश में शांति स्थापित करने के लिए एक दूसरे के धार्मिक मार्गदर्शकों, इबादत-गाहों यहां तक कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी मान-सम्मान करने की ज़रूरत है।

हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा स अ व की शान में धृष्टता-पूर्वक बयानात की वजह से निश्चित रूप में हमारे हृदय घायल हैं। लेकिन जमाअत अहमदिया की प्रतिक्रिया यह है कि हम ख़ुदा तआला के समक्ष इस पवित्र नबी स अ व के लिए हज़ारों रहमतें और सलामती की दुआ करते हैं और आप स.अ.व की पवित्र जीवनी से लोगों को अवगत कराने की कोशिश करते हैं और लोगों के आरोपों का निवारण करने की कोशिश करते हैं।

हज़रत नबी अकरम स अ व की हज़रत आयशा रज़ि से निकाह के वक़्त हज़रत आयशा रज़ि की आयु, इतिहास और अहादीस की पुस्तकों की रोशनी में 9 वर्ष थी। जब आपस अ व की बिदाइ हुई उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ि की आयु इतिहास और अहादीस की पुस्तकों के अनुसार 12-14 वर्ष थी। जिस युग की इस वक़्त बात हो रही है वह आज से 1400 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना ज़माना है जिसमें लड़कियों की छोटी आयु में शादी कराने और मर्द और औरत की आयु के मध्य काफ़ी अंतर के साथ भी शादी करने का रिवाज था।

किसी एक घटना की बुनियाद पर शादी के हवाला से हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद मुस्तफ़ा स अ व के आचरण के बारे में ग़लत बातें संबद्ध करना सख़्त नाइंसाफ़ी है बल्कि आँहज़रत स अ व की पवित्र जीवनी का अध्यन करने से मालूम होगा कि आप के आचरण अत्यंत उच्च श्रेणी के थे और महिलाओं के अधिकार पूरे करने के हवाले से आप ने उस ज़माने में अज़ीमुश्शान शिक्षा दी हैं जो आज के विकसित युग में भी महिलाओं को संसार के कुछ भागों में प्राप्त नहीं है।

जब आँहज़रत स.अ.व ने ख़ुदा के संदेश को लोगों में फैलाने की कोशिश शुरू की तो मक्का के लोगों ने आप स.अ.व को इस काम से रोकने के लिए तरह-तरह के सांसारिक लालच दिए। उनमें से एक लालच उन्होंने यह दिया कि यदि आप कहें तो आपकी शादी मक्का की सबसे सुंदर लड़की से करवा दी जाएगी। लेकिन आप ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि ख़ुदा की तौहीद (एकेश्वरवाद) की स्थापना ही मेरे आने का उद्देश्य है, इससे मैं कदापि रुक नहीं सकता।

जब आप स अ व की आयु 25 वर्ष की थी तो आपकी शादी हज़रत ख़दीजा रज़ि से हुई जिनकी आयु उस वक़्त 40 वर्ष थी और आप ने उनके साथ 25 वर्ष का शादीशुदा जीवन ख़ुशी के साथ गुज़ारा। इसके अतिरिक्त आप की अक्सर पत्नियाँ या तो विधवा थीं या फिर वृद्ध थीं।

इन घटनाओं और तथ्यों से मालूम होता कि आप स अ व की शादियों के उद्देश्य भी महान थे। जिनके माध्यम से क़ौमों की तर्बीयत हो रही थी, समाज के निचले वर्ग वालों को सहारा मिल रहा था।"

ऐसे महान इन्सान की जीवनी पर इस प्रकार के ओछे आरोप कहाँ तक उचित हैं? इसी प्रकार हाल ही में उदयपुर में हुई नृशंस घटना जिसमें एक टेलर की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, जमात अहमदिया इसकी भी कड़ी निंदा करती है। यह इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमारे देश को हर प्रकार के हानिकारक तत्वों से सदैव सुरक्षित रखे। आमीन

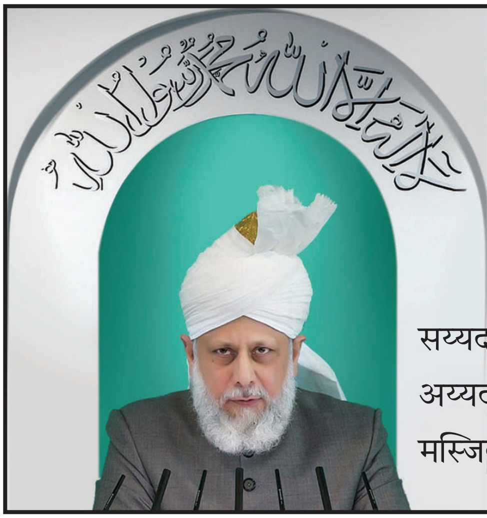

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः

सय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़, दिनांक- 13.5.2022 मस्जिद मुबारक, इस्लामाबाद, टिलफोर्ड बर्तानिया

हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ीयल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस्लाम से विमुख होने वालों के उपद्रव तथा विद्रोह के समय भिजवाए जाने वाले अभियानों का वर्णन।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी. के दौर में जो फितने थे, उनके विरुद्ध की जाने वाली कारवाई के वर्णन की श्रंखला में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी. की बुताह की ओर मालिक बिन नुवैरा की तरफ आगे बढ़ने का विवरण बयान करते हुए इरशाद फ़रमाया-

मालिद बिन नुवैरा का सम्बंध बनू तमीम की एक शाखा बनू यर्बूअ से था। उसने 9 हिजरी में मदीना आकर इस्लाम क़बूल किया। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने क़बीले के ज़कात एकत्र करने वाले ओहदे पर नियुक्त किया था परन्तु जब आप स. का निधन हुआ तथा अरब में इस्लाम से विमुखता एवं विद्रोह की लहर उठी तो वह भी मुर्तद होने वालों में से हो गया। जब आप स. के देहान्त की सूचना उसे पहुंची तो उसने ख़ुशी एवं उल्लास समारोह मनाया तथा जहाँ अपने क़बीले के उन मुसलमानों की हत्या की जो ज़कात को अनिवार्य समझने के साथ साथ उसे मुसलमानों के मर्कज़ अर्थात मदीना में भिजवाने को भी न्यायसंगत मानते थे, वहीं झूठा नबी होने की दावेदार तथा दुष्ट सजाह नामक स्त्री के साथ शामिल हो गया जो कि एक अति विराट सेना लेकर मदीना पर हमला करने की योजना बना रही थी।

अरब की विद्वान ईसाई धार्मिक नेता उम्मे सादिर सजाह पुत्री हारिस, क़बीला बनू तमीम से सम्बंध रखती थी तथा उन नबुव्वत के कुछ दावेदारों तथा विद्रोही क़बीलों के सरदारों में से थी जो अरब में इर्तदाद (इस्लाम से विमुखता) से थोड़ी अवधि पहले अथवा उसके चलते सामने आए थे। वह इस निश्चय से बढ़ी चली आ रही थी कि अपने साथ एक महान सेना लेकर अचानक बनू तमीम पहुंच जाएगी तथा नबुव्वत की घोषणा करके अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देगी। इस तरह पूरा क़बीला सहमत होकर उसके साथ हो जाएगा तथा उयीना की भांति बनू तमीम भी उसके विषय में यह कहना शुरु कर देंगे कि बनू यर्बूअ की

नबिय्या क़ुरैश के नबी से उत्तम है क्यूँकि मुहम्मद स. वफ़ात पा गए हैं और सजाह जीवित है।
सजाह अपनी सेना के साथ बनू यर्बूअ की सीमा पर पहुंच कर ठहर गई तथा क़बीले के सरदार मालिक बिन नुवैरा को बुला कर सन्धि तथा मदीने पर हमला करने के लक्ष्य से रुक जाने का सुझाव दिया और कहा कि मदीना पहुंच कर अबू बकर की सेनाओं से मुक़ाबला करने से अच्छा यह है कि पहले अपने क़बीले के विरोधी दल का सफ़ाया कर दिया जाए।

मालिक के इस सुझाव को पसन्द करते हुए सजाह ने बनू यर्बूअ के अन्य सरदारों को भी सन्धि की दावत दी परन्तु वकीअ के अतिरिक्त किसी ने भी यह दावत स्वीकार नहीं की, इस पर उसने मालिक, वकीअ तथा अपनी सेना को साथ लेकर दूसरे सरदारों पर धावा बोल दिया, घमसान का युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्षों की भारी संख्या का वध हुआ तथा एक ही क़बीले के लोगों ने एक दूसरे को बन्दी बना लिया। कुछ ही समय पश्चात मालिक तथा वकीअ को इस स्त्री का अनुसरण करने की अपनी ग़लती का आभास हुआ तो उन्होंने दूसरे सरदारों से सन्धि कर ली तथा एक दूसरे के बन्दी वापस कर दिए।

अपनी दुष्ट योजना की असफलता पर सजाह ने बनू तमीम से मदीना की ओर कूच किया, वहाँ पहुंच कर औस बिन ख़ुज़ीमा से उसका आमना सामना होकर टकराव हुआ तथा जिसमें उसकी हार हुई। औस ने इस शर्त पर सजाह को वापस जाने दिया कि वह इस बात का पक्का निश्चय करे कि वह मदीना की ओर आगे नहीं बढ़ेगी।

सजाह की सेना के सरदार मदीने जाने के रास्तों को बन्द होता देख कर परेशान हो गए और सजाह से भविष्य की योजना के बारे में पूछा। इसके जवाब में उसने वह्यी के रंग में एक तुक बन्दी से भरी इबारत घड़ कर उनको विश्वास दिलाया कि यदि मदीना जाने के रास्ते बन्द हो गए हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं, तथा यमामा की ओर बढने का आदेश दिया।

सजाह जब अपनी सेना के साथ यमामा पहुंची तो तो मुसैलमा को बड़ी चिंता हुई, उसने सोचा कि यदि वह सजाह की सेना से युद्ध करने में व्यस्त हो गया तो उसकी शक्ति शिथिल पड़ जाएगी, इस्लाम की सेना उस पर धावा बोल देगी तथा आस पास के क़बीले भी उसके आज्ञा पालन का दम भरने से इंकार कर देंगे। यह सोच कर उसने सजाह से सन्धि करने की ठानी। पहले उसे भेंट इत्यादि भेजे, फिर कहला भेजा कि वह स्वयं उससे मिलना चाहता है। उसने मुसैलमा को उपस्थित होने अनुमति दे दी।

मुसैलमा बनू हनीफ़: के चालीस लोगों के संग सजाह के पास आया, एकांत में बात चीत की, सजाह को पूर्णत: अपने क़ब्ज़े में लेने तथा अपना अनुयायी बनाने के लिए उसने यह सुझाव पेश किया कि हम दोनों अपनी नबुव्वतों को एकत्र कर लें तथा आपस में पति पतनी के बन्धन में बन्ध कर एक हो जाएँ, सजाह ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया। तीन दिन उसके कैम्प में रहने के बाद यह अपनी सेना में वापस आई तथा अपने साथियों को बताया कि उसने मुसैलमा को हक़ पर पाया है इस लिए उससे शादी कर ली है।

लोगों ने पूछा कि कुछ मेहर भी तय किया, उसने कहा कि मेहर तो निश्चित नहीं किया। उन्होंने सुझाव दिया कि आप वापस जाएँ तथा मेहर निश्चित करके आएँ, क्यूँकि आप जैसे व्यक्तित्व के लिए मेहर

के बिना शादी करना उचित नहीं। अत: वह उसके पास वापस गई तथा मुसैलमा को अपनी मांग से अवगत किया। इस पर मुसैलमा ने उसके लिए इशा तथा $फजर की नमाज़ों में कमी कर दी तथा वे बन्द कर दीं। इसी प्रकार यह तय पाया कि वह यमामा की ज़मीनों के लगान की आधी आमदनी को सजाह को भेजेगा। तत्पश्चात वह निरन्तर बनू तग़लब में ठहरी रही, तौबा कर ली तथा इस्लाम क़बूल कर लिया, यहाँ तक कि हज़रत अमीर मुआविय: ने भुखमरी वाले साल में उसे उसकी क़ौम के साथ बनू तमीम में भेज दिया जहाँ वह मृत्यु तक मुसलमान होने की अवस्था में रहती रही।

हज़रत अबू बकर रज़ी. ने हज़रत ख़ालिद रज़ी. बिन वलीद को आदेश दिया था कि तुलैहल असदी के मामले से निपट कर आप रज़ी. मालिक बिन नुवैरा के मुक़ाबले के लिए जाँए जो बुताह में ठहरा हुआ था। जब बुताह आए तो वहाँ किसी को भी नहीं पाया, तो आप रज़ी. ने विभिन्न सैन्य दल इधर उधर भेजे तथा उनको निर्देश दिया कि जहाँ पहुंचें वहाँ पहले इस्लाम की दावत दें, जो इसका जवाब न दे उसे बन्दी बना कर ले आएँ तथा जो मुक़ाबला करे उसकी हत्या कर दें। उन्हीं दलों में से एक दल मालिक बिन नुवैरा को जिसके साथ बनू सअलबा बिन यरबू के कुछ आदमी भी थे, बन्दी बनाकर लाया।

एक रिवायत के अनुसार उस रात कड़ाके की ठंड थी, जब ठंड और अधिक बढ़ने लगी तो हज़रत ख़ालिद रज़ी. ने मनादी का आदेश दिया- اَدْفِئُوْااَسْرٰكُمْ अर्थात अपने बन्दियों को गर्म करो किन्तु बनू किनाना के मुहावरे में इन शब्दों का अर्थ यह था कि हत्या कर दो। सैनिकों ने इन शब्दों का अर्थ स्थानीय मुहावरे के अनुसार समझते हुए उस सबको मार डाला। हज़रत ख़ालिद रज़ी. बिन वलीद को जब यह शोर सुनाई दिया तो वे अपने ख़ेमे से बाहर आए किन्तु उस समय तक सिपाही उन सब बन्दियों का काम तमाम कर चुके थे, अब क्या हो सकता था। उन्होंने कहा अल्लाह जिस काम को करना चाहता है वह हर हाल में होकर रहता है।

एक अन्य रिवायत के अनुसार हज़रत ख़ालिद रज़ी. ने मालिक बिन नुवैरा को अपने पास बुलवाया, सजाह का साथ देने तथा ज़कात रोकने के बारे में उसको चेतावनी दी तथा उसे कहा कि क्या तुम नहीं जानते, ज़कात नमाज़ की साथी है? उसने कहा कि तुम्हारे साहिब का यही विचार था अर्थात रसूलुल्लाह के बजाए साहिब या साथी कह कर पुकारा। हज़रत ख़ालिद रज़ी. ने फ़रमाया- क्या वे हमारे साहिब हैं, तुम्हारे साहिब नहीं? फिर आप रज़ी. ने हज़रत ज़रार रज़ीयल्लाहु तआला अन्हु को उसकी गर्दन उड़ाने का आदेश दिया।

इतिहास के कथनानुसार इस विषय में अबू क़तादा रज़ी. ने ख़ालिद रज़ी. से चर्चा की और दोनों के बीच विवाद हुआ और अबू क़तादा रज़ी. हज़रत ख़ालिद रज़ी. से मतभेद करते हुए सेना को छोड़ कर हज़रत अबू बकर रज़ी. के पास चले आए तथा शिकायत की, कि ख़ालिद रज़ी. ने मालिक बिन नुवैरा ही हत्या करवाई है, जबकि वह मुसलमान था। हज़रत अबू बकर रज़ी. अबू क़तादा रज़ी. से इस बात पर अत्यंत नाराज़ हुए कि वे सेना के अमीर हज़रत ख़ालिद रज़ी. की अनुमति के बिना सेना को छोड़ कर मदीना आए हैं तथा उनको वापस जाने का आदेश दिया। तबरी के इतिहास में इसका अधिक विवरण यूँ वर्णित है कि हज़रत उमर रज़ी ने हज़रत अबू बकर रज़ी की सेवा में निवेदन किया कि ख़ालिद रज़ी. एक मुसलमान की

हत्या का अपराधी है तथा यदि यह बात साबित न हो सके तो इतना तो प्रमाणित है जिससे कि उनको बन्दी बना दिया जाए इस मामले में, कि हत्या तो बहरहाल हुई है। इस मामले में हज़रत उमर रज़ी. ने बड़ा अनुरोध किया। चूंकि हज़रत अबू बकर रज़ी. अपने कार्यकर्ताओं तथा सैन्य अधिकारियों को कभी बन्दी नहीं बनाते थे, इस लिए उन्होंने फ़रमाया- ऐ उमर, इस मामले में चुप रहो, ख़ालिद रज़ी. बिन वलीद से विवेचन करने में ग़लती हुई है, तुम उनके बारे में कदाचित कुछ मत कहो और हज़रत अबू बकर रज़ी. ने मालिक का ख़ूंबहा (वह धन राशि जो ग़लती से किसी की हत्या करने के बदले में दी जाती है) अदा कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी. ने पत्र लिख कर हज़रत ख़ालिद रज़ी. बिन वलीद को आने का कहा, वे आए और उन्होंने इस घटना का पूरा विवरण बयान किया तथा खेद प्रकट किया एवं क्षमा चाही, आप रज़ी. ने उनकी क्षमा को स्वीकार कर लिया।

शरह मुस्लिम नामक पुस्तक में इमाम नववी रहमुल्लाह फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी. ने मालिक बिन नुवैरा के बारे में पूरी छान बीन की तथा इस नतीजे पर पहुंचे कि ख़ालिद रज़ी. बिन वलीद उसकी हत्या के आरोप से बरी हैं। आप रज़ी. इस मामले में दूसरों की अपेक्षा घटना क्र म में एक ख़लीफ़: होने के कारण अधिक जानकार तथा गहरी नज़र रखते थे तथा आप रज़ी. का ईमान भी सब पर भारी था, हज़रत ख़ालिद रज़ी. के साथ व्यवहार में आप रज़ी. रसूलुल्लाह का अनुसरण कर रहे थे।

हज़रत ख़ालिद रज़ी. बिन वलीद के विषय में एक अन्य आपत्ति यह भी की जाती है कि आप रज़ी. ने युद्ध के समय मारे गए की पतनी उम्मे तमीम लैला सुपुत्री मिनहाल से शादी की तथा इद्दत गुज़रने की भी प्रतीक्षा नहीं की। हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला ने इस आपत्ति के उत्तर में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी का हवाला बयान फ़रमाया कि वास्तव में यह घटना ही मनघड़त है......मालिक बिन नुवैरा ने इस महिला को एक लम्बी अवधि से तलाक़ दे रखी थी तथा उस मूर्खतापूर्ण व्यवहार के आधीन उसे यूँ ही घर में डाल रखा था, इसी मूर्खतापूर्ण प्रथा के तोडऩे पर यह क़ुर्आन की आयत अवतरित हुई थी कि-

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (सूर: बक़र: 233)

जब तुम स्त्रियों को तलाक़ दे दो और उनकी इददत पूरी हो जाए तो उन्हें रोके न रखो। अत: इस महिला की इददत तो कब की पूरी हो चुकी थी और निकाह करना वैध हो चुका था क्यूँकि उसने तलाक़ देकर केवल अपने घर में रखा हुआ था।

हज़रत ख़ालिद रज़ी. बिन वलीद की बनू हनीफ़ा के मुक़ाबले के उद्देश्य से यमामा की ओर जाने के बारे में आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी. ने आप रज़ी. को यह आदेश दे रखा था कि क़बीला असद, गतफ़ान और मालिक बिन नुवैरा इत्यादि के काम को पूरा करके यमामा जाएँ तथा इसके बारे में बड़ा सचेत कर रखा था। शरीक रज़ी. बिन अबदा की रिवायत के हवाले से संक्षिप्त विवरण पेश करने के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला ने ख़ुत्ब: के अन्त में फ़रमाया कि यमामा के युद्ध का विवरण इन्शाअल्लाह आगे बयान होगा।

☆ ☆ ☆

हज़रत आईशा[रज़ी.] के विवाह तथा बिदाई के समय उनकी आयु

(उद्धरित: सीरत खातमुन्नबिय्यीन सअव लेखक- मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एम ए)

अनुवादक- फ़रहत अहमद आचार्य

हज़रत आईशा रज़ि की बिदाई, माह शवाल 2 हिज्री

"हज़रत ख़दीजा[रज़ि] की वफ़ात के बाद आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आईशा रज़ि सिद्दीक़ा के साथ शादी की थी यह सन नबवी का दसवाँ साल और शवाल का महीना था। (इस्तीआब पृष्ठ 765 पंक्ति 7,8) और इस वक़्त हज़रत आईशा रज़ि की उम्र सात साल की थी। (इब्ने हिशाम जिल्द 3 ज़िक्र अज़्वाज उन्नबी ई) परंतु मालूम होता है कि उनका शारीरिक विकास उस वक़्त भी असामान्य रूप से अच्छा था; वर्ना कोई वजह नहीं थी कि खोला बिंत हकीम को जो उन के निकाह की प्रेरक बनी थीं आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शादी के लिए उन की तरफ़ ख़्याल जाता, लेकिन बहरहाल अभी तक वह बालिग़ (वयस्क) नहीं हुई थीं, इसलिए उस वक़्त निकाह तो हो गया परंतु बिदाई नहीं हुआ और वह बदस्तूर के हिसाब से अपने माता-पिता के पास ही रहती रहीं, लेकिन अब हिज्रत के दूसरे साल जबकि इन की शादी पर पाँच साल गुज़र चुके थे और उनकी उम्र बारह साल की थी वह बालिग़ हो चुकी थीं; अत: ख़ुद हज़रत अबूबकर रज़ि ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर बिदाई के लिए कहा। (तबरानी बहवाला जरक़ानी जिल्द 3 पृष्ठ) जिस पर आप स. ने महर की अदायगी का इंतिज़ाम किया। (उस ज़माना में महर के नक़द अदा करने का दस्तूर था। और माह शवाल 2 हिज्री में हज़रत आईशा अपने माता-पिता के घर से रुख़स्त हो कर नबी स. के घर में दाख़िल हो गईं।

यह सवाल कि बिदाई के वक़्त हज़रत आईशा की उम्र कितनी थी इस ज़माना में एक मतभेदीय सवाल बन गया है। आम इतिहास की पुस्तकों में और हदीस की पुस्तकों में हज़रत आईशा की उम्र नौ या दस साल की बयान हुई है यहाँ तक कि सही बुख़ारी में ख़ुद हज़रत आईशा रज़ि से भी यह रिवायत मर्वी है कि बिदाई के वक़्त मेरी उम्र सिर्फ़ नौ साल थी और इसी आधार पर समस्त इतिहारकारों ने नौ साल की उम्र बयान की है परंतु इस के मुक़ाबले में कुछ आधुनिक मुहक़्क़िक़ीन ने मुख़्तलिफ़ किस्म के इस्तिदलाल से चौदह साल बल्कि सोलह साल तक उम्र साबित करने की कोशिश की है। हम इन आधुनिक मुहक़्क़िक़ीन की राय से इत्तिफ़ाक़ नहीं रखते परंतु हालात के अध्ययन से पता लगता है कि नौ साल की उम्र का ख़्याल भी दरुस्त नहीं है। बल्कि जैसा कि हमने ऊपर बयान किया है बिदाई के वक़्त हज़रत आईशा की उम्र पूरे बारह साल या लगभग बारह साल की साबित होती है। दरअसल इस मुआमला में पहले लोगों को तो सारी ग़लती इस वजह से लगी है कि उन्होंने हज़रत आईशा के नौ साल वाले अंदाज़े को जो सही हदीसों में बयान हुआ है बिलकुल यक़ीनी और क़तई समझ कर किसी और बात की तरफ़ तवज्जा नहीं की; हालाँकि हर अक़्लमंद आदमी समझ सकता है कि रिवायत का सही होना और बात है और अंदाज़े का सही होना बिलकुल और बात, यानी बावजूद उस के कि यह रिवायतें जिनमें हज़रत आईशा का

यह अंदाज़ा बयान हुआ है कि बिदाई के वक़्त मेरी उम्र नौ साल की थी असल रिवायत के लिहाज़ से बिलकुल सही हों, हज़रत आईशा का यह अंदाज़ा ख़ुद अपनी ज़ात में ग़लत हो सकता है। जैसा कि कभी कभी लोगों के अंदाज़े अपनी उम्र के मुतल्लिक़ ग़लत हो जाया करते हैं। इस के मुक़ाबला में जिन लोगों ने नौ साल वाले ख़्याल को ग़लत समझ कर आज़ादाना तहक़ीक़ करनी चाही है उन्होंने यह ग़लती की है कि तहक़ीक़ के सीधे और साफ़ रास्ते को त्याग कर एक ऐसा पेचीदा रास्ता इख़तियार किया है कि जो दिल की तसल्ली का कारण नहीं हो सकता। हर फ़हमीदा शख़्स हमारे साथ इत्तिफ़ाक़ करेगा कि सबसे ज़्यादा पुख़्ता और सबसे ज़्यादा आसान ज़रीया हज़रत आईशा की उम्र पता लगाने का यह है कि हमें एक तरफ़ तो उनकी पैदाइश की तारीख और दूसरी तरफ़ उनके बिदाई की तारीख का पता चल जाए। क्योंकि इन दोनों तारीख़ों के तय हो जाने के बाद बिदाई के वक़्त की उम्र के मुतल्लिक़ किसी शक-ओ-शुबा की गुंजाइश नहीं रह सकती।

पहले हम पैदाइश के सवाल को लेते हैं। इब्न-ए-सअद ने तबक़ात में यह रिवायत नक़ल की है कि

كَانَتْ عَائِشَةُ وَلَدَتِ السَّنَةَ الرَّابِعَةَ مِنَ النُّبُوَةِ فِي اَوَّ لِهَا۔

(तबक़ात इब्न-ए-साद जिल्द 8 पृष्ठ 5)

यानी हज़रत आईशा 4 नबवी के आरंभ में पैदा हुईं थीं। हज़रत आईशा की तारीख़-ए-पैदाइश के मुतल्लिक़ इस रिवायत के सिवा कोई और मुअय्यन रिवायत प्रारम्भिक इतिहासकारों की किसी किताब में मेरी नज़र से नहीं गुज़री और न ही हदीस की किसी किताब में इस के मुतल्लिक़ कोई रिवायत आती है। तो पैदाइश की तारीख तो आसानी के साथ तय हो गई और वह 4 नबवी का आरंभ है।

अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं जो बिदाई की तारीख से ताल्लुक़ रखता है। इस में बेशक रिवायात में मतभेद है। कुछ रिवायात में यह तारीख शवाल 1 हिज्री बयान हुई है और कुछ में शवाल 2 हिज्री लेकिन ग़ौर किया जाए तो बाद वाली रिवायात ज़्यादा सही क़रार पाती हैं। शवाल 1 हिज्री वाली रिवायत का असल उद्‌गम इब्न-ए-साद है जिसने एक सिलसिला रूह के ज़रीया इस रिवायत को हज़रत आईशा तक पहुंचाया है। (तबक़ात जिल्द 8 पृष्ठ 39, 40) और अधिकतर इतिहासकारों ने इब्न-ए-साद वाली रिवायत को ही आधार बनाकर बिदाई की तारीख शवाल 1 हिज्री क़रार दी है लेकिन यद्यपि इब्न-ए-साद ख़ुद अपनी ज़ात में सिक़ा है परंतु इस रिवायत में इस के राවियों में एक रावी वाक़दी है जिसके ग़ैर सिक़ा और नाक़ाबिल-ए-भरोसा बल्कि झूठा होने के मुतल्लिक़ मुहक़्क़िक़ीन ने क़रीबन क़रीबन सहमति जताई है। (तहज़ीब अलतहज़ीब जिल्द 9 पृष्ठ 366 -368) अत: केवल इस वाक़दी वाली रिवायत पर जबकि वह दूसरी रिवायात के ख़िलाफ़ हों, एक तारीख़ी वाक़िया (ऐतिहासिक घटना) की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। इस के मुक़ाबला पर अल्लामा नोदी, अल्लामा ऐनी और किस्तलानी और कुछ दूसरे मुहक़्क़िक़ीन ने शवाल 2 हिज्री वाली रिवायत को सही और काबिल-ए-तरजीह क़रार दिया है। (नोदी बहवाला जरक़ानी जिल्द 1 पृष्ठ 374, जिल्द 3 पृष्ठ 230, ऐनी शरह बुख़ारी जिल्द 1 पृष्ठ 45, मुवाहिब अलल्दनीह ज़िक्र हज़रत आईशा-ओ-तारीख याफ़ई और वफ़ा वासिद इलग़ा बह बहवाला ख़मीस जिल्द 1 पृष्ठ 40) और अल्लामा नोदी ने तो बड़ी सफाई और इसरार के साथ लिखा है कि इस रिवायत के मुक़ाबले में शवाल 1 हिज्री वाली रिवायत कमज़ोर और काबिले रद्द है। (जरक़ानी जिल्द 3 पृष्ठ 23०) अतः कोई वजह नहीं कि

सिर्फ इस आधार पर कि आम मुअर्रिख़ीन ने शवाल 1 हिज्री वाली रिवायत की तक़लीद की है हम एक ज़्यादा मज़बूत ख़्याल को रद्द कर दें और दरअसल आम मुअर्रिख़ीन ने भी वाक़दी की रिवायत को महज़ इस ख़्याल से नवाज़ा है कि वह नौ साल वाली उम्र के अंदाज़े के साथ जो सही हदीसों में बयान हुआ है ज़्यादा समानता रखती है, चुनांचे जरक़ानी जैसा मुहक़्क़िक़ साफ़ लिखता है कि शवाल 2 हिज्री वाली रिवायत इसलिए क़ाबिल-ए-क़बूल नहीं है कि इस तरह नौ साल से ज़्यादा हो जाती है। (जरक़ानी जिल्द 3 पृष्ठ 23) हालाँकि जब ख़ुद उम्र का सवाल और उम्र की रिवायतें ही ज़ेर-ए-बहस हों तो किसी ख़ास रिवायत को सही फ़र्ज़ कर लेना दरुस्त नहीं है और फिर जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं नौ साल वाले अंदाज़े को ग़लत मानने के यह अर्थ नहीं हैं कि नौ साल वाली रिवायतें भी ग़लत हैं। और फिर ताज्जुब यह है कि ख़ुद अल्लामा जरक़ानी ने दूसरी जगह 6 शवाल 2 हिज्री वाले क़ौल को आगे रखा है। इन हालात में शवाल 1 हिज्री वाली रिवायत शवाल 2 हिज्री वाली रिवायत के मुक़ाबला में काबिल-ए-क़बूल नहीं समझी जा सकती और हक़ीक़त यही मालूम होती है कि हज़रत आईशा की बिदाई शवाल 2 हिज्री में हुई थी। अल्लाह बहतर जानता है।

अब जब पैदाइश और बिदाई की तारीख़ों का पता चल गया तो उम्र का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है बल्कि यह सिर्फ एक मोटा हिसाबी सवाल रह जाता है जिसे एक बच्चा भी निकाल सकता है। हज़रत आईशा 4 नबवी के शुरू में पैदा हुईं और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हिज्रत 14 नबवी के रबीउल अव्वल महीने में हुई। (तबरी जिल्द 3 पृष्ठ 1255 ई तारीख ख़मीस जिल्द 1 पृष्ठ 263, 36) इस तरह हिज्रत तक हज़रत आईशा की उम्र कुछ माह ऊपर दस साल बनती है और हिज्रत के बाद जो रबीउल अव्वल एक हिज्री में हुई, शवाल 2 हिज्री तक जबकि हज़रत आईशा रज़ि की बिदाई हुआ दो साल से कुछ कम का समय होता है और इन दोनों समयों को मिलाने से वही बारह साल हासिल होते हैं जो हमने आरंभ में बयान किए हैं और अगर इब्न-ए-साद की रिवायत के मुताबिक़ बिदाई को हिज्रत के पहले साल में समझा जाए तो फिर भी यह ग्यारह साल का समय बनता है न कि नौ या दस साल का, और यह एक हिसाबी नतीजा है जिसके मुक़ाबला में कोई अनुमानित अंदाज़ा क़बूल नहीं किया जा सकता

अब रहा यह सवाल कि बहुत सी हदीसों में हज़रत आईशा रज़ि ने ख़ुद अपनी उम्र नौ साल की क्यों बयान की है? तो इस का जवाब यह है कि हम इन रिवायतों को ग़लत नहीं कहते यानी हम तस्लीम करते हैं कि हज़रत आईशा का यही ख़्याल था कि बिदाई के वक़्त उनकी उम्र नौ साल की थी, लेकिन यक़ीनन उनका यह ख़्याल महज़ अंदाज़ा था और दरुस्त नहीं था और यह कोई काबिल-ए-ताज्जुब बात नहीं क्योंकि हर शख़्स समझ सकता है कि उम्रों के अंदाज़ों में लोगों से ग़लती हो जाया करती है। तो अगर पैदाइश और बिदाई की तारीख़ों के हिसाबी मुक़ाबला से हज़रत आईशा की उम्र नौ साल नहीं बनती तो महिज़ हज़रत आईशा के इस अंदाज़े की वजह से कि बिदाई के वक़्त मेरी उम्र नौ साल की थी, नौ साल वाली रिवायत को क़बूल नहीं किया जा सकता; हाँ अगर किसी सही हदीस में हज़रत आईशा की पैदाइश की तारीख प्रारम्भिक 4 नबवी के अतिरिक्त कोई और बयान की गई हो या बिदाई की तारीख शवाल 2 हिज्री के इलावा कोई और साबित हो तो बेशक यह रिवायतें काबिल-ए-क़बूल होंगी और इन्हीं पर उम्र के हिसाब को आधारित क़रार दिया जाएगा

लेकिन एक महज़ अंदाज़े और ख़्याल के मुक़ाबला में चाहे वह सही हदीसों में ही बयान किया गया हो, एक हिसाबी परिणाम को रद्द नहीं किया जा सकता।

यह तो एक उसूली बेहस है जो हमने इस जगह पेश की है लेकिन हक़ीक़त यह है कि अगर अंदाज़े वाली रिवायतों की छानबीन की जायह तो उनसे भी अंततः वही नतीजा निकलता है जो हमने ऊपर बयान किया है यानी यह कि बिदाई के वक़्त हज़रत आईशा की उम्र बारह साल की थी ना कि नौ साल की। इस के समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि दरअसल हज़रत आईशा ने सिर्फ बिदाई की उम्र का अंदाज़ा ही नहीं बताया बल्कि साथ ही निकाह की उम्र का अंदाज़ा भी बताया है और हदीस तथा इतिहास की किताबों में यह दोनों अंदाज़े साथ साथ बयान हुए हैं; अतः हज़रत आईशा का यह कथन अधिकता के साथ मर्वी हुआ है कि जब मेरा निकाह हुआ तो मेरी उम्र छः या सात साल की थी और जब मेरी बिदाई हुई तो मेरी उम्र नौ साल की थी और कुछ रिवायतों में बिदाई की उम्र दस साल भी बयान हुई है। अब उसूली क़ायदा के मुताबिक़ हमें इन दोनों अंदाज़ों में से पहले अंदाज़े को जो निकाह के वक़्त से ताल्लुक़ रखता है सत्य के निकट समझना चाहीए। क्योंकि अव्वल तो यह अंदाज़ा ज़्यादा छोटी उम्र के साथ ताल्लुक़ रखता है जबकि ग़लती का इमकान निसबतन कम होता है। दूसरे चूँकि वह सबसे पहला अंदाज़ा है। वही असल अंदाज़ा समझा जाएगा और बाद की उम्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अंदाज़े इस अंदाज़े की शाख समझे जाऐंगे ना कि स्थाई अंदाज़े। तो अंदाज़ों की बेहस में असल बुनियाद लाज़िमन पहले अंदाज़े पर रखी जाएगी जो निकाह के वक़्त की उम्र के साथ ताल्लुक़ रखता है और जिसमें छः या सात साल की उम्र बयान की गई है। अब जब हम इस अंदाज़े से हिसाब करके बिदाई की उम्र का पता लगाते हैं तो इस तरह भी वही बारह साल की उम्र साबित होती है न कि नौ या दस साल की। परंतु पूर्व इसके कि हम यह हिसाब पेश करें छः और सात के पारस्परिक मतभेद का हल ज़रूरी है। यह बयान किया जा चुका है कि शादी के वक़्त की उम्र कुछ रिवायतों में छः साल बयान हुई है और कुछ में सात साल और यह दोनों किस्म की रिवायतें हदीस और इतिहास की पुस्तकों अर्थात दोनों में पाई जाती हैं। सात साल वाली रिवायत ख़ुसूसीयत के साथ सही मुस्लिम-ओ-निसाई (बहवाला जरक़ानी जिल्द 3 पृष्ठ 23०) और इब्ने हिशाम (2 इब्ने हिशाम जिल्द 3 पृष्ठ 9) और इब्न-ए-साद (इब्न-ए-साद जिल्द 8 पृष्ठ 41 पंक्ति 26) और तबरी (तबरी जिल्द 3 पृष्ठ 1263 पंक्ति 7) में बयान हुई है और इस के मुक़ाबला में छः साल वाली रिवायत भी इन सब पुस्तकों में सिवाए सीरत इब्न-ए-हिशाम वर्णित हुई हैं और इलावा इसके बुख़ारी में भी छः साल वाली रिवायत पाई जाती है। अब हमने देखना यह है कि इन दोनो किस्म की रिवायतों में से कौन सी रिवायतें प्रमुखता योग्य हैं। हर शख़्स जो रिवायतों के ज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है इस बात को स्वीकार करेगा कि जहां तक महज़ रिवायत के सही होने का ताल्लुक़ है कि दोनों किस्म की रिवायतें हर तरह सही और क़ाबिल-ए-एतिमाद हैं और हम उनमें से किसी को ग़लत कह कर रद्द नहीं कर सकते। तो मानना पड़ेगा कि ख़ुद हज़रत आईशा रज़ि ने ही विभिन्न मौक़ों पर यह दो अलग-अलग अंदाज़े बयान किए हैं। यानी कभी तो उन्होंने अपनी उम्र छः साल की बयान की है और कभी सात साल की और कभी इन दोनों को मिला कर यह कह दिया है कि शादी के वक़्त मेरी उम्र छः या सात साल की थी। अतः रिवायत के लिहाज़ से तो कोई फ़र्क़ नहीं है लेकिन दिरायत के हिसाब से ग़ौर किया जाए तो सात

साल वाले अंदाज़े को तर्जीह (प्रमुखता) देनी पड़ती है और वह इस तरह से कि यह एक आम दस्तूर है कि जब तक उम्र का कोई साल पूरा नहीं हो जाता, उस वक़्त तक सिर्फ नीचे के साल का नाम लिया जाता है और ऊपर की गिनती को छोड़ दिया जाता है और ऊपर के साल का नाम सिर्फ उसी वक़्त लिया जाता है कि जबकि या तो ऊपर का साल पूरा हो चुका हो और या पूरा होने के इस क़दर क़रीब हो कि व्यावहारिक रूप से उसे पूरा समझा जा सके। तो हज़रत आईशा की उम्र के मुतल्लिक़ कुछ रिवायात में छः साल का ज़िक्र आना और कुछ में सात साल का यक़ीनी तौर पर इस बात को ज़ाहिर करता है कि निकाह के वक़्त हज़रत आईशा की उम्र छः से गुज़र के सात के इतने क़रीब पहुंच चुकी थी कि इस पर सात साल बोलना आम मुहावरा की हिसाब से जायज़ हो गया था और सिर्फ थोड़ी सी नाम मात्र कमी की वजह से छः साल का लफ़्ज़ इस्तिमाल कर लिया जाता था, वर्ना उनकी उम्र सात साल की ही थी; चुनांचे इसी ख़्याल के मातहत कुछ इतिहासकारों ने छः साल के ज़िक्र को बिलकुल त्याग दिया है और सिर्फ सात साल का ज़िक्र किया है मसलन इब्ने हिशाम (इब्ने हिशाम जिल्द 3 पृष्ठ 94) ने छः साल का ज़िक्र तक नहीं किया और सिर्फ सात साल का ज़िक्र किया है और इस के मुक़ाबला में मेरी नज़र से कोई ऐसी विश्वसनीय इतिहास की किताब नहीं गुज़री जिसमें सिर्फ छः साल के ज़िक्र पर संतोष किया गया हो। फिर सीरत हलबियह के लेखक ने भी जहां नबी स० की पत्नियों का ज़िक्र किया है, वहां हज़रत आईशा की उम्र सिर्फ सात साल बयान की है और छः साल का ज़िक्र नहीं किया। (सीरत हलबियह जिल्द 3 पृष्ठ 352) और हज़रत आईशा के निकाह के बयान में ज़िक्र तो दोनों का है परंतु सराहतन लिखा है कि सात साल वाली रिवायत सही होने के ज्यादा निकट है। (सीरत हलबियह जिल्द 1 पृष्ठ 37) इन हालात यद्यपि रिवयत के हिसाब से दोनों किस्म की रिवायतें सही हैं परंतु दिरायत से हिसाब से इस बात में किसी किस्म के शक-ओ-शुबा की गुंजाइश नहीं समझी जा सकती कि निकाह के वक़्त हज़रत आईशा की उम्र सात साल के इस क़दर क़रीब पहुंची हुई थी कि मानो वह सात साल ही थी।

अब जब यह साबित हो गया कि निकाह के वक़्त हज़रत आईशा की उम्र सात साल की थी तो अगला हिसाब कोई मुश्किल काम नहीं रहता। यह बताया जा चुका है कि हज़रत आईशा की शादी शवाल 10 नबवी में हुई थी । (इब्न-ए-साद जिल्द 8 पृष्ठ 39) और यही तारीख तमाम इतिहासकारों के निकट मान्य है। मानो शवाल 10 नबवी में हज़रत आईशा की उम्र सात साल या उस के क़रीब थी। इस के बाद रबीउल अव्वल 14 नबवी में हिज्रत हुई। (तबरी जिल्द 3 पृष्ठ 125) इस तरह शादी और हिज्रत के दरमियान का अरसा तीन साल और कुछ महीने बनता है और हिज्रत के वक़्त हज़रत आईशा की उम्र दस साल और कुछ माह की क़रार पाती है।

इस के बाद हम यह देखते हैं कि हिज्रत और बिदाई के दरमियान का समय कितना है। यह सर्वमान्य (प्रमाणित) है कि हिज्रत रबीउल अव्वल में हुई, इसलिए हिज्रत का पहला साल साढ़े नौ माह का हुआ और फिर चूँकि बिदाई शवाल 2 हिज्री में हुआ इसलिए साढ़े नौ माह ही दूसरे साल के हुए और यह दोनों अर्से मिलकर हिज्रत और बिदाई के दरमियान का अरसा उन्नीस माह यानी एक साल और सात माह का हुआ। अब अगर इस अवधि के साथ मिलाएं जो हिज्रत से पूर्व की है तो इसका जोड़ वही बारह साल होता है जो हमने दूसरी तरफ से क़रार दिया है। ख़ुलासा कलाम यह कि चाहे हज़रत आईशा के अंदाज़े से हिसाब शुमारी करें या यह कि उनकी

तारीख़-ए-पैदाइश से शुमार करें नतीजा दोनों सूरतों का यही है कि बिदाई के वक़्त हज़रत आईशा रज़ि की उम्र बारह साल की थी न कि नौ साल की और यक़ीनन हज़रत आईशा का यह ख़्याल कि उस वक़्त मेरी उम्र नौ साल की थी ग़लत अंदाज़े या ग़लत हिसाब शुमारी पर आधारित है और ऐसा मालूम होता है कि जब उन्होंने महीनों की गिनती छोड़कर अपने निकाह की उम्र का अंदाज़ा छः साल लगाया तो उस के बाद उन्होंने हिसाबी तौर पर दरमियानी अरसा को शुमार नहीं किया बल्कि यूं ही मोटे तौर पर अंदाज़ा कर लिया कि बिदाई के वक़्त उनकी उम्र नौ साल की होगी और फिर यही ख़्याल उनके दिल में बैठ गया। या यह भी मुम्किन है कि चूँकि उस वक़्त तक अभी जंतरी वग़ैरा का हिसाब रायज नहीं हुआ था और हिज्री की तारीख भी अभी तैयार नहीं हुई थी और फिर शादी और बिदाई के दरमियान की मीयाद भी दो मुख़्तलिफ़ सनों (यानी सन नबवी और सन हिज्री के हिसाबात से ताल्लुक़ रखती थी इसलिए हज़रत आईशा से हिसाब शुमारी में भूल से ग़लती हो गई हो और फिर यह ग़लत ख़्याल उनके दिल में ऐसा बैठ गया हो कि बाद में कभी इस हिसाबी ग़लती की तरफ़ उनका ख्याल ही न हुआ हो लेकिन बहरहाल कुछ भी हो अगर यह बात ठीक है कि निकाह के वक़्त हज़रत आईशा की उम्र सात साल या उस के क़रीब थी तो फिर बिदाई के वक़्त नौ साल की उम्र का अंदाज़ा किसी सूरत में भी सही नहीं समझा जा सकता और यह एक हिसाबी सवाल है जिसके मुक़ाबला में कोई और दलील नहीं ठहर सकती।

ख़ुलासा कलाम यह कि चाहे किसी तरह से भी देखा जाए बिदाई के वक़्त हज़रत आईशा की उम्र बारह साल या उस के क़रीब क़रीब होती है और अगर बिदाई की तारीख शवाल 01 हिज्री करार दी जाए तो फिर भी उनकी उम्र ग्यारह साल की बनती है। अतः नौ साल का अंदाज़ा बहरहाल ग़लत है लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ (कल्पना के तौर पर) नौ साल की उम्र को ही सही तस्लीम कर लिया जाए तो फिर भी कोई ऐतिराज़ की बात नहीं है, क्योंकि अरब जैसे मुल्क में नौ या दस साल की लड़की का बालिग़ (वयस्क) हो जाना अनुमान से बाहर नहीं। ख़ुद हमारे हिन्दोस्तान में भी कुछ लड़कीयां जिनमें विकास का माद्दा अधिक होता है। दस साल की उम्र में बालिग़ हो जाती हैं। दरअसल व्यस्कता का दारोमदार अधिकतर हवा-पानी, ख़ुराक और इर्दगिर्द के हालात पर होता है। ठंडे देशों में और विशेषकर ऐसे देशों में जहां की ख़ुराक में गर्म मसाले कम होते हैं लड़कियां उमूमन बहुत देर में बालिग़ होती हैं; चुनांचे इंग्लिस्तान वग़ैरा में सन्-ए-बलूग़ औसतन अठारह साल का होता है और लड़कियों की शादी उमूमन बीस साल बल्कि कभी कभी इस से भी ज़्यादा उम्र में होती है लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई लड़की बीस साल की उम्र तक बग़ैर शादी के बैठी रहे तो उमूमन लोगों में उँगलियाँ उठनी शुरू हो जाती हैं कि इस में कोई नुक़्स होगा तभी उसे कोई रिश्ता नहीं मिला। क्योंकि यहां बलूग़त की औसत उम्र तेरह चौदह साल (यह पुस्तक 1920 ई में लिखी गई थी- अनुवादक) है। अरब का देश चूँकि हिन्दुस्तान की निसबत भी ज़्यादा गर्म और ख़ुशक है इसलिए वहां के वयस्कता की औसत हिन्दुस्तान से भी गिरी हुई है और कई लड़कियां ऐसी मिलती हैं जो नौ दस साल की उम्र में ही वयस्कता की आयु को पहुंच जाती हैं। इन हालात में हज़रत आईशा का नौ या दस साल की उम्र में बालिग़ हो कर बिदाई के काबिल हो जाना हरगिज़ काबिल-ए-ताज्जुब नहीं समझा जा सकता। ख़ुसूसन जबकि इस उम्र को मद्देनज़र रखा जाए कि हज़रत आईशा में विकास का माद्दा सामान्य से अधिक था। जैसा कि सर विलियम मियोर ने भी अपनी किताब में स्वीकार किया है। (लाइफ आफ मुहम्मद पृष्ठ 110, 117)

बहरहाल अब हज़रत आईशा पूरी तरह बालिग़ थीं और हिज्रत के बाद शवाल 2 हिज्री में उनकी बिदाई हुई। उस वक़्त हज़रत आईशा की वालिदा मदीना के देहात में एक जगह अलस्सुनुह नामी में थीं; तो अंसार की औरतों ने वहां जमा होकर हज़रत आईशा को बिदाई के लिए तैयार किया और फिर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ख़ुद वहां तशरीफ़ ले गए और इस के बाद हज़रत आईशा अपने घर से रुख़स्त हो कर नबी के घर में दाख़िल हो गईं। (बुखारी किताब बदउल खल्क़) महर पाँच सौ दिरहम या कुछ रिवायात में चार सौ दिरहम यानी कम-ओ-बेश एक सौ रुपया था, जो बिदाई के वक़्त नक़द अदा कर दिया गया। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में से सिर्फ हज़रत आईशा ही वह बीवी थीं जो कुंवारी होने की हालत में आप स. के निकाह में आईं। बाक़ी सब विधवा या तलाक़ दी हुई थीं और इस ख़ुसूसीयत को हज़रत आईशा कभी कभी अपनी विशेषताओं में शुमार किया करती थीं। हज़रत आईशा की बिदाई के वक़्त आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की उम्र क़रीबन पचपन साल की थी और आप हज़रत आईशा के लड़कपन का ख़्याल करते हुए उनके साथ बहुत दिलदारी का सुलूक फ़रमाते और उनके जज़बात का ख़ास ख़्याल रखते थे। अत: एक दफ़ा जब चंद हब्शी शमशीर-ज़न आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और आप स. के सहाबा को नेज़ा के करतब दिखाने लगे तो आप स. ने उन्हें मस्जिद-ए-नबवी के सेहन में करतब दिखाने के लिए इरशाद फ़रमाया और ख़ुद हज़रत आईशा को सहारा देकर मकान की दीवार के साथ अपनी ओट में लेकर खड़े हो गए ताकि वह भी उन लोगों के करतब देख लें और जब तक वह इस फ़ौजी तमाशा से ख़ुद संतुष्ट नहीं हो गईं आप स. वहां से नहीं हटे। एक दूसरे मौक़ा पर आप स. ने हज़रत आईशा के साथ दौड़ने का मुक़ाबला किया। पहली दफ़ा तो हज़रत आईशा आगे निकल गईं लेकिन जब एक अरसा बाद आप स. दूसरी दफ़ा उनके साथ दौड़े तो उस वक़्त वह पीछे रह गईं, जिस पर आप स. ने मुस्कराते हुए फ़रमाया लो आईशा अब वह बदला उतर गया है। बाज़-औक़ात हज़रत आईशा की कुछ सहेलियाँ उन के घर में मासूमाना अशआर वग़ैरा पढ़ने का शुग़ल करतीं, तो आप स. बिलकुल मना न करते बल्कि जब एक दफ़ा हज़रत अबू बकर ने यह नज़ारा देखकर लड़कियों को कुछ डांट डपट करनी चाही तो आप स. ने मना फ़रमाया और कहा अबू बकर जाने दो। यह ईद का दिन है लड़कियां अपना खेल करती हैं लेकिन जब आप स. दूसरी तरफ़ मुतवज्जा हुए तो हज़रत आईशा ने ख़ुद लड़कियों को इशारा करके उन्हें रुख़स्त कर दिया। परंतु बावजूद इस कम उम्र के हज़रत आईशा का ज़हन और हाफ़िज़ा ग़ज़ब का था और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तालीम-ओ-तर्बीयत के मातहत उन्होंने बहुत तेजी के साथ हैरत-अंगेज़ तौर पर तरक़्क़ी की। और दरअसल इस छोटी उम्र में उनको अपने घर में ले आने से आपका उद्देश्य ही यह था कि ताकि आप बचपन से ही अपने मंशा-ए-के मुताबिक़ उनकी तर्बीयत कर सकें और ताकि उन्हें आपकी संगत में रहने का अधिक से अधिक समय मिल सके और वह इस नाज़ुक और अज़ीमुश्शान काम के योग्य बनाई जा सकें जिसकी ज़िम्मेदारी एक शरीयत वाले नबी की पत्नी पर पड़ती है, चुनांचे आप स. इस मंशा में कामयाब हुए और हज़रत आईशा ने मुसलमान औरतों के सुधार और तालीम-ओ-तर्बीयत का वह काम सरअंजाम दिया जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। हदीसों का एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी हिस्सा हज़रत आईशा ही की रिवायात पर आधारित है यहाँ तक कि उनकी रिवायतों की कुल तादाद दो हज़ार दो सौ दस तक पहुँचती है।

उनके ज्ञान और फ़ज़ल और दीनी मामलों की समझ का यह आलम था कि बड़े बड़े जलील-उल-क़दर सहाबा उनका लोहा मानते और उनसे फ़ैज़ हासिल करते थे। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा को कोई इलमी मुश्किल ऐसी पेश नहीं आई कि जिसका हल हज़रत आईशा के पास न मिल गया हो और उर्वा बिन ज़ुबैर का क़ौल है कि मैंने कोई शख़्स इल्म-ए-क़ुरआन और इलम मीरास और इलम हलाल-ओ-हराम और इल्म-ए-फ़िक़्ह और इल्म-ए-शेअर और इल्म-ए-तिब और इल्म-ए-हदीस-ए-अरब और इल्म-ए-अंसाब में आईशा रज़ि से ज़्यादा आलिम नहीं देखा। ज़ोहद-ओ-क़नाअत (कम में गुजारा करना) में उनका यह मर्तबा था कि एक दफ़ा उनके पास कहीं से एक लाख दिरहम आए उन्होंने शाम होने से पहले पहले सब ख़ैरात कर दिए हालाँकि घर में शाम के खाने तक के लिए कुछ नहीं था। इन्हीं विशेषताओं की वजह से जिनकी झलक आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माना में ही नज़र आने लग गई थी। आप स. उन्हें खासतौर पर प्रिय रखते थे और बाज़-औक़ात फ़रमाते थे कि सब लोगों में आईशा मुझे अत्यधिक प्रिय है। एक दफ़ा फ़रमाया कि मर्दों में तो बहुत लोग कामिल (सिद्ध) गुज़रे हैं लेकिन औरतों में कामिल (सिद्ध) बहुत कम हुई हैं। फिर आप स. ने फ़िरऔन की पत्नी आसीया और मर्यम पुत्री इमरान का नाम लिया और फिर फ़रमाया कि आईशा को औरतों पर वह दर्जा हासिल है जो अरब के बेहतरीन भोजन 'सरीद' को दूसरे भोजनों पर है।"

(सीरत खातमुन्नबिय्यीन स.अ.व लेखक- मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एम ए)

प्रिय पाठको ! आशा है कि इस विषय पर आपकी संतुष्टि हो गई होगी। सच तो यह है कि किसी सामान्य व्यक्ति पर भी कोई आपत्ति या ऐतराज करने से पहले मनुष्य को सौ बार सोच विचार कर लेना चाहिए, और जब बात विश्व के महानतम अवतार की हो तो कुछ भी कहने से पहले हजार बार चिंतन मनन कर लेना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप निष्पक्ष होकर स्वयं हज़रत मुहम्मद स.अ.व की जीवनी को पढ़ें आपके विषय में जानें आपके समस्त संदेह और ऐतराज दूर हो जाएंगे। धन्यवाद

☆ ☆ ☆

LIYAKAT ALI
Ph. 9899221402
9899221457
FENLEYROSH
Fenley Rosh Healthcare Pvt. Ltd.
Frequentideas Group City Quay
Liverpool L3 4fD United Kingdom
c-5/1015.2ndfloor,
opposite CISF Group Center
New Vasant Kunj, Road, New Delhi-37
011-3231790
www.fenleyrosh.com | info@fenleyroshhealthcare.com

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सर्वोत्तम आदर्श की कुछ घटनाएँ

दूसरों की भावनाओं का आदर

अपने तो अपने आप स. दूसरों की भावनाओं का भी अत्यधिक सम्मान करते थे। एक बार आप के पास यहूदी आया और शिकायत की कि देखिए हज़रत ! अबू बकर ने मेरा दिल दुखाया है तथा यह कहा है कि मैं मुहम्मद (स.अ.व.) की सौगन्ध खाकर कहता हूँ जिसे ख़ुदा ने मूसा से श्रेष्ठ बनाया है। इस बात से मेरे हृदय को कष्ट पहुँचा है। आप स. ने हज़रत अबू बक्र रज़ि . को बुलाकर उनसे पूछा कि यह क्या बात है? हज़रत अबू बकर रज़ि . ने कहा— हे अल्लाह के रसूल ! वार्ता का आरम्भ इस व्यक्ति ने किया था कि मैं मूसा की सौगंध खाकर कहता हूँ जिसे ख़ुदा ने समस्त संसार पर श्रेष्ठता प्रदान की है। इस पर मैंने कहा— मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह की सौगन्ध खा कर कहता हूँ जिसे ख़ुदा ने मूसा से श्रेष्ठतर बनाया है। आपने कहा— ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मुझे मूसा पर श्रेष्ठता न दिया करो। इसका तात्पर्य यह न था कि आप स्वयं को मूसा से श्रेष्ठ न समझते थे अपितु तात्पर्य यह था कि यह वाक्य कहने से कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) को ख़ुदा ने मूसा पर श्रेष्ठता प्रदान की है यहूदियों के हृदयों को कष्ट पहुँचता है। आप निर्धनों से सहानुभूति तथा उनकी भावनाओं का आदर किया करते थे।

धार्मिक सहिष्णुता

हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) धार्मिक सहिष्णुता पर बहुत बल देते थे और इस बारे में स्वयं भी उच्चकोटि का आदर्श प्रदर्शित करते थे। आप के पास यमन का एक ईसाई क़बीला धार्मिक विचार विनिमय करने के उद्देश्य से आया जिसमें उनके बड़े-बड़े पादरी भी थे। मस्जिद में बैठ कर बात-चीत का आरम्भ हुआ तथा यह वार्तालाप लम्बा हो गया। इस पर उस दल के पादरी ने कहा— अब हमारी उपासना का समय है, हम बाहर जाकर उपासना कर आएं। आप स. ने कहा— बाहर जाने की क्या आवश्यकता है हमारी मस्जिद में ही अपनी उपासना कर लें। हमारी मस्जिद ख़ुदा की स्तुति के लिए ही बनाई गई है। (ज़रक़ानी)

मृत्यु प्राप्त लोगों के संबंध में आपका आदर्शाचरण

आप स. हमेशा यह भी नसीहत करते रहते थे कि मरने वाले को मृत्यु से पूर्व वसीयत कर देना चाहिए ताकि बाद में उसके परिजनों को कष्ट न पहुँचे। मरने वालों के संबंध में आप का यह भी निर्देश था कि जब कोई व्यक्ति नगर में मर जाए तो लोगों को चाहिए कि उसकी बुराइयों का वर्णन न करें अपितु उसकी अच्छी बातों और अच्छे कर्मों का वर्णन किया जाए क्योंकि उसकी बुराई वर्णन करने में कोई लाभ नहीं परन्तु उसके सत्कर्मों के वर्णन करने का लाभ यह है कि लोगों के हृदयों में उसके लिए दुआ की प्रेरणा उत्पन्न होगी। (बुख़ारी) आप स. इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखते थे कि जिन लोगों का निधन हो जाए उनके क़र्ज़ (ऋण) शत प्रति शत अदा किए जाएँ। अत: जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती और उस पर क़र्ज़ होता तो आप स. या तो स्वयं उसका क़र्ज़ अदा कर

देते और यदि आप स. में उसकी अदायगी का सामर्थ्य न होता तो उस कर्ज़ की आदायगी के लिए उसके परिजनों को कहते और उसका जनाज़ा उस समय तक नहीं पढ़ते थे जब तक उसका क़र्ज़ अदा न कर दिया जाता।

आदर्श चरित्र

आप स. का स्वभाव बहुत सरल था। किसी कष्ट पर घबराते नहीं थे कभी किसी इच्छा के प्रति अत्यधिक प्रभावित नहीं होते थे। आपके जीवन चरित्र में बताया जा चुका है कि आप के जन्म से पूर्व आप के पिता और बाल्यकाल में आपकी माता का निधन हो गया था। प्रारम्भिक आठ वर्ष आप ने अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के संरक्षण में गुज़ारे। तत्पश्चात् आप का पालन-पोषण आप के चाचा अबू तालिब की छत्रछाया में हुआ। चाचा का रक्त-संबंध भी था तथा उनके पिता ने मरते समय रसूले करीम (स.अ.व.) के पक्ष में विशेष तौर पर वसीयत की थी। इसलिए वह रसूले करीम (स.अ.व.) पर विशेषरूप से स्नेह की दृष्टि रखते थे। आप का विशेष ध्यान भी रखते थे परन्तु चाची में वह सहानुभूति की भावना न थी और न ही घरेलू दायित्वों का आभास। जब घर में कोई वस्तु आती तो प्राय: वह अपने बच्चों को पहले देतीं तथा आप स. की उपेक्षा करती। अबू तालिब घर में आते तो बजाए इसके कि अपने छोटे भतीजे को रोते हुए या शिकायत करते हुए पाते, वे देखते कि उनके बच्चे तो कोई वस्तु खा रहे हैं परन्तु उन का छोटा सा भतीजा साक्षात गरिमा का स्तम्भ बना एक ओर बैठा होता। चाचा का प्रेम और पारिवारिक दायित्व उनके सामने आ जाते वह दौड़कर अपने भतीजे को गोद में ले लेते और कहते मेरे बेटे का भी तो ध्यान रखो, मेरे बेटे का भी तो ध्यान रखो। ऐसा प्राय: होता रहता था परन्तु देखने वाले बताते हैं कि रसूले करीम (स.अ.व.) ने न कभी शिकायत की और न कभी आपके चेहरे पर उदासीनता और विषाद प्रकट हुआ और न इस कारण कभी स्वभाव में झुंझलाहट ने जन्म लिया और न अपने चचेरे भाइयों से ईर्ष्या पैदा हुई। इस तथ्य की पुष्टि आपके जीवनादर्शों से हो जाती है कि आप ने बाद की परिवर्तित परिस्थितियों में किस प्रकार हज़रत अली और हज़रत जा'फ़र को अपने संरक्षण में लेकर उनके हर प्रकार से जीवनोत्कर्ष के लिए हर प्रकार से उपाय किए। रसूले करीम (स.अ.व.) का भौतिक जीवन भी बहुत सी कटुताओं से भरा है। जन्म से पूर्व ही पिता का निधन फिर माता और दादा का एक के बाद एक निधन। फिर जब विवाह हुआ तो आप के बच्चे निरंतर मरते चले गए, इसके बाद आप की कई पत्नियों का निधन हुआ, जिनमें हज़रत ख़दीजा रज़ि . जैसी वफ़ादार और सेवा करने वाली पत्नी भी थीं परन्तु आपने इन समस्त संकटों को धैर्य पूर्वक सहन किया और ये कष्ट न आप को हताश कर सके और न आप की विनोद प्रियता पर कोई प्रभाव डाल सके, हृदय के घाव कभी नेत्रों में नहीं फूटे, चेहरा हर एक के लिए उल्लासपूर्ण रहता तथा बहुत कम ही किसी अवसर पर आपने इस दर्द को प्रकट किया। एक बार एक स्त्री जिसके लड़के का निधन हो गया था वह अपने बेटे की क़ब्र पर रो रही थी। रसूले करीम (स.अ.व.) वहाँ से गुज़रे तो आप ने फ़रमाया— हे स्त्री ! धैर्य धारण कर। ईश्वरेच्छा महान् और सर्वोपरि है। वह स्त्री आप स. को पहचानती न थी, उसने उत्तर में कहा— जिस प्रकार मेरा बच्चा मरा है तुम्हारा बच्चा भी मरता तो तुम्हें मालूम होता कि धैर्य क्या होता है। रसूले करीम (स.अ.व.) वहाँ से यह कह कर चल पड़े कि एक नहीं सात बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अस्तु इस प्रकार ऐसे अवसर पर अपने हृदय की पीड़ा दर्शा दिया करते थे, अन्यथा प्रजा की भलाई और कल्याण में न कोई कमी हुई न आप के उल्लास में कोई अन्तर आया।

☆ ☆ ☆

स्वस्थ समाज के निर्माण में इस्लाम धर्म की शिक्षाएं

फ़ज़ल नासिर, मुबल्लिग़ सिलसिला

1- इस्लाम का दावा एक विश्वव्यापी धर्म होने का है

पवित्र क़ुरआन का आरंभ सूरह फातिहा की उस आयत से होता है जिसमें फ़रमाया है कि اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ (पवित्र क़ुरआन, सूरह फ़ातिहा, 1:2) अर्थात समस्त प्रशंसा का पात्र वह अल्लाह है जो प्रत्येक संसार का पालनहार है। हमारा रोज़मर्रा का अनुभव है कि ब्रह्मांड की जितनी भी भौतिक चीजें हैं वह बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ पहुंचा रही हैं। इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस खुदा ने भौतिक रूप से हमारे पालन पोषण का इतना उत्तम प्रबंध किया उसने आध्यात्मिक पालन पोषण का भी अवश्य ही प्रबंध किया होगा। इस परिप्रेक्ष्य में देखने से ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर ने धर्म का प्रकरण आरंभ किया इससे यह भी मानना पड़ता है कि समस्त धर्म अपने वर्तमान बिगड़े हुए स्वरूप के बावजूद मूल रूप से ईश्वर की ओर से ही अवतरित थे और सत्य पर आधारित थे लेकिन समय के साथ-साथ उनमें बिगाड़ पैदा होता गया और एक लंबे समय अंतराल के पश्चात उनका वास्तविक रूप ही परिवर्तित हो गया।

इस्लाम धर्म की सुरक्षा का दायित्व क्योंकि ईश्वर ने अपने ज़िम्मा लिया है इसलिए इस्लाम की मूल धारणाओं में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ परंतु समय के साथ-साथ उसका सार जरूर परिवर्तित हो गया और उसकी शिक्षाओं की बाद में आने वाले लोगों ने ऐसी व्याख्याएं कीं जिन का वास्तविक शिक्षा से दूर का भी संबंध न था। इस समस्या के समाधान के लिए ईश्वर ने यह प्रबंध किया कि प्रत्येक शताब्दी के शीर्ष पर ऐसे सुधारकों को प्रकट किया जिन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं की सही व्याख्या करके उसके वास्तविक अर्थों से मुसलमानों को अवगत कराया जैसा कि एक हदीस में बयान हुआ है कि नबी सल्लल्लाहो अलेही वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला इस उम्मत के लिए प्रत्येक शाताब्दी में एक मुजद्दिद को भेजेगा जो दीन की तजदीद करेगा। तजदीद का अर्थ है नया करना ताजा करना अर्थात समय गुजरने के साथ जब किसी वस्तु पर धूल मिट्टी लग जाए जंग लग जाए उसका वास्तविक स्वरूप परिवर्तित हो जाए और उसका सौंदर्य छुप जाए, ऐसी वस्तु को साफ-सुथरा करके restore करने का नाम तजदीद है। यह प्रबंध है जो इस्लाम की शिक्षाओं और क़ुरआन के शब्दों के संरक्षण के अतिरिक्त उसके सार और वास्तविक अर्थ को संरक्षित रखने के लिए ईश्वर ने किया और विशेष रूप से इस्लाम की 14वीं शाताब्दी में इमाम महदी और मसीह मौऊद के नाम से एक महान सुधारक का आना तय था और उसका प्रादुर्भाव स्वयं नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलेही वसल्लम का आना ही करार दिया गया जैसा कि क़ुरआन शरीफ की सूरह जुमा में अल्लाह तआला फ़रमाता है وَاٰخَرِیۡنَ مِنۡہُمۡ لَمَّا یَلۡحَقُوۡا بِہِمۡ ؕ وَہُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ (पवित्र क़ुरआन, सूरह जुमा, 62:4) अर्थात रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहो अलेही वसल्लम का आध्यात्मिक रूप से एक प्रादुर्भाव बाद में आने वाले लोगों में भी होगा जो अभी पहलों से नहीं मिले, इसका अर्थ यह है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक व्यक्ति आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अनुसरण और प्रेम में इतना लीन होगा कि उसका अपना व्यक्तित्व नष्ट होकर उसमें नबी सल्लल्लाहो अलेही

वसल्लम की महिमा प्रकट होगी और वह महान सुधारक इस अंतिम युग के महान उपद्रव को समाप्त करके इसे न्याय और सत्य से भर देगा। वह इस्लाम पर होने वाले आंतरिक व बाहरी हमलों का मुकाबला करेगा और इस्लाम के वास्तविक रूप को अपने उदाहरण से सिद्ध करेगा। अल्लाह तआला उस सुधारक के माध्यम से अपना जिंदा मौजूद होना और सर्वशक्तिमान होना बड़े जबरदस्त निशानों से सिद्ध कर देगा और दुनिया से सभी उपद्रव और अशांति को समाप्त करने का यही एक ही उपाय है कि दुनिया अपने पैदा करने वाले को पहचाने और हर बुरा कर्म करने से पहले सोचे कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है और खुदा और उसके बन्दों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे।

2- संस्कृति पर पड़ने वाला धर्म का प्रभाव

जैसा कि बयान हो चुका है कि इस्लाम का दावा एक विश्वव्यापी धर्म होने का है अत: इस्लाम को किसी विशेष युग, राष्ट्र अथवा संस्कृति से खास नहीं कर सकते इसीलिए इस्लाम की शिक्षा एक मजबूत बुनियाद पर आधारित होने के बावजूद उसमें लचक पाई जाती है और इस्लाम धर्म का अनुयाई किसी भी संस्कृति अथवा राष्ट्र में अपने विश्वास से समझौता किए बगैर आसानी से integrate हो सकता है। इस लिहाज से इस्लाम का किसी संस्कृति पर पड़ने वाला प्रभाव कभी भी समाज में बिगाड़ का कारण नहीं बनता बल्कि उसके विकास में अपना योगदान देता है।

3- इस्लाम के अनुसार सदाचार की परिभाषा

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं: "ज्ञात रहे कि ख़ल्क़ "ख़" पर अ की मात्रा से बाह्य रचना का नाम है और खुल्क "ख़" पर उ की मात्रा से आंतरिक रचना का नाम है और क्यूंकि आंतरिक रचना सदाचार से ही पूर्ण होती है न केवल प्राकृतिक इच्छाओं से इसलिए सदाचार के लिए ही यह शब्द उपयोग हुआ है प्राकृतिक इच्छाओं के लिए नहीं और फिर यह बात भी बताने योग्य है कि जैसा कि जनसामान्य का विचार है कि सदाचार केवल विनम्रता का ही नाम है यह उनकी भूल है बल्कि जो कुछ बाह्य अंगों के समक्ष आंतरिक रूप से मानवीय गुणों की अवस्थाएं रखी गई हैं उन सब अवस्थाओं का नाम सदाचार है। उदाहरण के लिए मनुष्य आंख से रोता है और उसके समक्ष हृदय में करुणा भाव का गुण है वह जब ईश्वर की ओर से प्रदत्त विवेक के माध्यम से अपने उपयुक्त स्थान पर उपयोग हो तो वह एक सदाचार है। ऐसा ही मनुष्य हाथों से शत्रु का मुकाबला करता है और इस क्रिया के समक्ष हृदय में एक शक्ति है जिसको साहस कहते हैं जब मनुष्य उचित स्थान पर और मौके के अनुसार इस शक्ति को उपयोग में लाता है तो इसका नाम भी सदाचार है और ऐसा ही मनुष्य कभी हाथों के माध्यम से पीड़ितों को अत्याचारियों से बचाना चाहता है अथवा गरीबों और भूखों को कुछ देना चाहता है या किसी और प्रकार से मानव जाति की सेवा करना चाहता है और इस क्रिया के समक्ष हृदय में एक शक्ति है जिसको दया कहते हैं और कभी मनुष्य अपने हाथों से अत्याचारी को दंड देता है और इस क्रिया के समक्ष एक शक्ति है जिसको प्रतिशोध कहते हैं और कभी मनुष्य हमले के जवाब में हमला करना नहीं चाहता और अत्याचारी के अत्याचार को अनदेखा कर देता है और इस क्रिया के समक्ष हृदय में एक शक्ति है जिसको क्षमा कहते हैं और कभी मनुष्य

मानव जाति को लाभ पहुंचाने के लिए अपने हाथों से काम लेता है या पैरों से या दिल और दिमाग से और उनके कल्याण के लिए अपना धन खर्च करता है तो इस क्रिया के समक्ष हृदय में एक शक्ति है जिसको उदारता कहते हैं। अत: मनुष्य जब इन समस्त गुणों को उनके ठीक ठीक स्थान पर और मौके की मुनासबत से उपयोग करता है तो उस समय इनका नाम सदाचार रखा जाता है।"

(इस्लामी उसूल की फ़िलॉसफ़ी, रूहानी ख़ज़ायन, भाग 10, पृष्ठ)

4- ख़ुदा तआला की आज्ञाओं की अवहेलना के परिणाम स्वरुप उत्पन्न दंडों का प्रारूप

मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं में मूल अंतर नैतिकता और इसका अभाव है मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं उनकी सभी क्रियाएं प्रकृति की ओर से प्रदान प्रवृत्ति के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं। वह अपने प्राकृतिक उभारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते इसलिए उनके लिए दंड और पुरस्कार का कोई प्रबंध नहीं है। यही कारण है कि एक शेर जो मांस खाता है उसको क्रूर और अत्याचारी नहीं कह सकते और न ही इस प्रकार एक बकरी को विनम्र और सदाचारी कह सकते हैं क्योंकि प्रकृति ने उसका स्वभाव ही ऐसा बनाया है। मनुष्य को समस्त जीवो पर श्रेष्ठता इसीलिए प्राप्त है कि वह उत्तेजनाओं का अंधा अनुसरण नहीं करता बल्कि प्रत्येक कार्य से पहले खुदा के दिए हुए विवेक से यह देखता है कि क्या यह इस कार्य का उचित स्थान और अवसर है भी कि नहीं और जो व्यक्ति अंधा होकर उत्तेजनाओं की पूर्ति करता है वह पशु समान है।

इस्लाम ने मनुष्य को नैतिकता व सदाचार के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम बुनियादी शिष्टाचार की शिक्षा दी है इस संबंध में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"यह सुधार सदाचार के क्षेत्रों में से वह क्षेत्र है जिसको शिष्टाचार के नाम से जाना जाता है अर्थात वे शिष्टाचार जिस की प्रतिबद्धता असभ्य लोगों को उनकी प्राकृतिक अवस्थाओं खाने-पीने और विवाह करने इत्यादि सभ्यता के कार्यों में संतुलन पर लाती है और उस जीवन से मुक्त करती है जो असभ्य और पशुओं या जंगली जानवरों के समान हो।" (इस्लामी उसूल की फिलॉसफी रूहानी खदान भाग 10 पृष्ठ 334)

इसके बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने पवित्र क़ुरआन के हवाले से बहुत से शिष्टापूर्ण दिशा निर्देशों का वर्णन किया है उदाहरण के लिए व्यभिचार न करो, किन स्त्रियों से विवाह करना वर्जित है, हत्या न करो, शराब और जुआ से बचो, अंधविश्वास से बचो, बुतों पर चढ़ावे सूअर एवं मृत जानवर का मांस ना खाओ इत्यादि इत्यादि।

अब जो व्यक्ति इन बातों पर अमल नहीं करता तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर इंसानों की भांति ऐसे व्यक्तियों को पकड़कर कारागार में डाल देता है या अन्य प्रकार से यातनाएं देता है बल्कि वह प्रकृति के नियमानुसार उन्हें दंड देता है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है यह प्रकृति का नियम है इसी नियम अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की पत्नी से व्यभिचार करे तो इसके कितने खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उस स्त्री का वैवाहिक जीवन तबाह हो जाएगा, बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपस में शत्रुता पैदा होगी और यह बुराइयां बढ़ने के साथ-साथ समाज की शांति भी भंग होती जाएगी इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की

बीमारियां भी परिणाम स्वरूप जन्म लेने लगती हैं हदीस में आया है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अश्लीलता किसी समाज में इस हद तक फैल जाये कि वे बड़ी निर्लज्जता से सैक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगें और उन्हें ईश्वर की ओर से एक विशेष प्रकार का दंड न मिले। उनमें एक प्रकार का प्लेग और अन्य प्रकार की ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो उनके पूर्वजों में पाई नहीं जातीं। (सही इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन) वर्तमान युग को ही वह विशेषता प्राप्त है जिसमें अश्लीलता अपने चरम पर है और अश्लीलता का खुला प्रदर्शन जो अब होता है इसका उदाहरण भूतकाल में कहीं नहीं मिलेग। अत: इन कारणों से हम एड्स को ईश्वर का प्रकोप कह सकते है। एड्स को एक महामारी तो कहा जाता है लेकिन इसका main thrust आना अभी बाकी है। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह चतुर्थ फ़रमाते हैं :-

"भविष्यवाणियों में जो एक प्रकार की ताऊन का उल्लेख है केवल उसकी पहचान करनी बाकि है। यह बहुत उचित बात है कि वह विशेष प्रकोप एड्स ही है। महान चिकित्सक इसको एक प्रकार की ताऊन ही मानते हैं। प्लेग की भांति इसमें भी कुछ ग्रंथियों में inflammation के साथ बहुत तेज़ बुखार आता है लेकिन साथ ही इसके कुछ विशेष लक्षण भी हैं जो bubonic plague में नहीं हैं। एड्स सैक्स सम्बन्धी है जबकि bubonic plague में ऐसा नहीं है। एड्स को विशेष रूप से अश्लील अपराधों के परिणाम में सजा के तौर पर पैदा क्या गया है।" (Revelation Rationality Knowledge and Truth, page 649)

इस स्थान पर स्मरण रहे कि moral policing उचित नहीं है अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहो अलेही वसल्लम के माध्यम से इस्लाम के अनुयायियों को विभिन्न प्रकार से संदेश दिया है कि उन्हें लोगों पर दरोगा नहीं बनाया गया। अल्लाह ने अच्छे बुरे दोनों रास्ते दिखा दिए हैं और मनुष्य को आजाद छोड़ दिया है वह अच्छा काम करेगा तो खुदा की ओर से पुरस्कार मिलेगा और बुरे कर्म के बदले तिरस्कार और व्यक्तिगत तौर पर बुरे चरित्र से जब तक किसी अन्य व्यक्ति को हानि न पहुंचे अथवा उसका दुष्प्रभाव समाज पर न पड़ता हो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को सजा देना अनुचित है।

5 सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान खुदा पर दृढ़ विश्वास की अनुपस्थिति में नैतिक दबाव से उत्पन्न हानि

अल्लाह तआला का एक विशेष्य 'सलाम' है जिसका अर्थ है शांति का स्रोत और शांति प्रदान करने वाला। खुदा के बिना हम किसी भी प्रकार की शांति की कल्पना कर ही नहीं सकते ऐसे समाज में जहां नैतिकता पर तो बल दिया जाता हो परंतु लोगों के भीतर खुदा के प्रति विश्वास न हो या हो भी तो बस ऐसा कि केवल मुंह से कहें कि हम खुदा को मानते हैं हालांकि जब तक मनुष्य के कर्मों पर यह विश्वास प्रभाव न डाले तब तक केवल मुंह से इकरार करने का कोई लाभ नहीं है बल्कि ऐसे समाज के आचरण का जहां तक संबंध है तो इस अवस्था में तो यह एक त्रासदी है। ऐसा समाज मुंह से तो पाप- पाप कहेगा परंतु इस प्रकार के काम सारे करेगा जिसके परिणाम स्वरूप उस समाज में छल कपट और दोगलापन फैल जाएगा जो सामाजिक शांति न्याय और विकास के लिए अत्यंत घातक है।

6- समाज के पतन का कारण बनने वाले कुछ विशेष पाप

अल्लाह तआला क़ुरआन करीम में फ़रमाता है, हे लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम में से कोई क़ौम किसी

क़ौम से उपहास न करे संभव है कि वे उनसे उत्तम हो जाएं और न ही महिलाएं महिलाओं से हो सकता है कि वे उन से श्रेष्ट हो जाएं और अपने लोगों पर दोष न लगाओ और एक दूसरे को नाम बिगाड़ कर न पुकारा करो ईमान लाने के पश्चात अवज्ञा का दाग लग जाना बहुत बुरी बात है और जिसने प्रायश्चित नहीं किया तो यही वे लोग हैं जो अत्याचारी हैं। हे लोगो जो ईमान लाए हो ! संदेह से बहुत बचा करो बेशक कुछ संदेह पाप होते हैं। किसी की टोह में न लगे रहा करो और तुम में से कोई किसी की चुगली न करे क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मृत भाई का मांस खाए तुम इसको बहुत नापसंद करते हो और अल्लाह से डरो निस्संदेह अल्लाह बहुत प्राश्चित स्वीकार करने वाला और बार-बार दया करने वाला है। (पवित्र क़ुरआन, सूरह हुजरात, 49: 12-13)

इन आयतों में अल्लाह ताला ने अहंकार, क्रोध, अपमान, तजस्सुस अर्थात किसी के दोषों को उजागर करने के लिए उसकी टोह में लगे रहने, चुगली और व्यर्थ संदेह इत्यादि से मना किया है।

7 पूर्ण न्याय और सत्य की स्थापना सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

क़ुरआन शरीफ में झूट को भी गंद और अपवित्र करार दिया है जैसा कि फ़रमाया-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (पवित्र क़ुरआन, सूरह हज, 22:31)

अर्थात बुतों की मलिनता और झूट की मलिनता से बचो। देखो यहां झूट को बुत के समक्ष रखा है और वास्तव में झूट भी एक बुत है अन्यथा क्यों सच को छोड़कर दूसरी ओर जाता है जैसे बुत के नीचे कोई वास्तविकता नहीं होती उसी प्रकार झूट के नीचे भी छल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। (मलफ़ूज़ात, भाग 3, पृष्ठ 350, प्रकाशन 1985 लन्दन)

आगे फ़रमाते हैं: "बुतों की पूजा और झूट बोलने से बचो अर्थात झूठ भी एक बुत है जिस पर भरोसा करने वाला ख़ुदा का भरोसा छोड़ देता है। अत: झूट बोलने से खुदा भी हाथ से जाता है।"

(इस्लामी उसूल की फिलॉसफी, रूहानी ख़ज़ायन, भाग 10, पृष्ठ 361)

अल्लाह ताला क़ुरआन शरीफ में फ़रमाता है हे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह के लिए गवाह बनते हुए न्याय को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने वाले बन जाओ। चाहे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देनी पड़े अथवा माता-पिता और निकट संबंधियों के विरुद्ध। चाहे कोई धनवान हो या निर्धन दोनों का अल्लाह ही उत्तम निरीक्षक है। अत: अपनी अभिलाषाओं का अनुसरण न करो ऐसा न हो कि न्याय से हट जाओ और यदि तुमने गोलमोल बात की या मुंह फेर लिया तो निसंदेह जो तुम करते हो उससे अल्लाह बहुत अवगत है। (पवित्र क़ुरआन, सुरह निसा, 4:136)

और किसी कौम की शत्रुता तुम्हें कदापि प्रेरित न करे कि तुम न्याय न करो। न्याय करो यह तक्वा (धार्मिकता) के सबसे अधिक करीब है और अल्लाह से डरो जो तुम करते हो निस्संदेह अल्लाह उससे सदैव अवगत रहता है। (पवित्र क़ुरआन, सूरह अल-माइद:, 5: 9)

☆ ☆ ☆

दारुल सनाअत, क़ादियान

(Ahmadiya vocational training centre, अहमदिया व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र)

अल्लाह के फ़ज़्ल से बेरोजगार अहमदी नौजवानों के लिए दारुल सनाअत, क़ादियान (व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र) में हुनर सीखने का बहतरीन मौक़ा है जहां से हर साल कई नौजवान काम सीख कर अपने रोजगार से लग जाते हैं। यहाँ पर सिखाए जाने वाले कॉर्सेस के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और मात्र एक साल के अंदर अंदर पूरा कोर्स करवा दिया जाता है।

नया सत्र जुलाई 2022-23 के लिए एडमिशन आरंभ हो गया है जो नौजवान कोई हुनर सीख कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर हैं। जल्दी संपर्क करें :-
फोन - 98727 25895, 8077546198

Course	fees	Duration
Certificate in computer applications	9000	1 year
Plumbing-	6000	1 year
Electrician-	6000	1 year
Welding-	6000	1 year
Diesel mechanic	10000	1 year
motor vehicle mechanic	7000	1 year
Ac & refrigerator	9000	1 year

नोट: फीस की रकम किस्तों में भी दी जा सकती है।

प्रिंसिपल, दारुल सनाअत क़ादियान

नमाज़े जुमा के लिए 3 आदमी होना अनिवार्य है: एक साहब ने पत्र द्वारा यह पूछा था कि वह केवल अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस स्थान पर हज़रत साहब की बैअत की है तो जुमा अकेले पढ़ लिया करें या न पढ़ा करें?

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि: जुमा के लिए जमात का होना अनिवार्य है, अगर दो आदमी पीछे मुक्तदी और तीसरा इमाम अपनी जमात के हों तो नमाज जुमा पढ़ लिया करें वरना नहीं। (सिवाय अहमदी दोस्तों के दूसरे के साथ जमात और जुमा जायज़ नहीं)।

(मलफूज़ात जिल्द 3)

Sayed K. A. Rihan, M.B.A.
Proprietor
Tel: 9035494123/9740190123

B.M.S.ENTERPRISES
INDUSTRIAL UTILITY SOLUTIONS

21, Erannappa Layout Ambadkar Main Road,
Mahadevapura, Bangalore - 560 048
E-mail: bmsentrprises@gmail.com

राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर (गूगल के माध्यम से)

1. राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है?
उत्तर-अरस्तु

2. भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है?
उत्तर : कनाडा

3. भारत को संविधान में क्या कहा गया है?
उत्तर : राज्यों का संघ

4. भारतीय संविधान अंगीकृत या आत्मार्पित कब किया गया?
उत्तर : 26 नवंबर 1949

5. संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया?
उत्तर : कैबिनेट मिशन योजना

6. संवैधानिक सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था?
उत्तर : डॉक्टर बी. एन. राव

7. संविधान सभा की प्रथम बैठक (9 दिसंबर 1946) की अध्यक्षता किसने की?
उत्तर : डॉ सच्चिदानंद सिन्हा

8. संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया?
उत्तर: डॉ राजेंद्र प्रसाद

9. प्रमुख समितियों के अध्यक्ष-
प्रारूप समिति : भीमराव अंबेडकर
झंडा समिति : आचार्य जेबी कृपलानी
नियम एवं संचालन समिति : डॉ राजेंद्र प्रसाद
प्रांतीय संविधान समिति : सरदार वल्लभभाई पटेल

10. 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?
उत्तर: पंडित जवाहरलाल नेहरू

11. 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया?
उत्तर : जवाहरलाल नेहरू

12. संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी?
उत्तर : 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां।

13. भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है?
उत्तर : भारत सरकार अधिनियम 1935

☆ ☆ ☆

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○
(سورہ بنی اسرائیل، آیت 31)
LUCKY BATTERY CENTRE
BATTERY & DIGITAL INVERTER
Thana Chhak, NH-5 Soro
Balasore, Odisha
Pin 756045
e-mail : abdul.zahoor786@gmail.com
Mob. : 09438352786, 06788221786

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○
(سورہ بنی اسرائیل، آیت 31)
Prop.
Sk. Riyazuddin
Moblie: 9437188786
9556122405
KING TENT HOUSE
At. Ashram Chak, P.O. Soro, Distt. Balasore, ODISHA

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Prop : Sk. Ishaque
Phangudubabu : 7873776617
Papu : 9337336406
Lipu : 9778116653
FFT
Fruits
FAIZAN FRUITS TRADERS
Near Railway Gate, Soro, Balasore, Odisha - 756045
PAPU LIPU ROAD WAYS
All India Truck Supplier
Papu : 9337336406, Lipu : 9437193658, 9778116653,

Sayed Wasim Ahmad
Mobile
09937238938
محبت سب کے لئے نفرت کسی سے نہیں
PRAN
MANGO
JUICEPAK
RUKSAR AGENCY
Pran Juice, Gandour Food Products,
Monginis Cake, Raja Biscuit etc.
Mubarakpur, At. Soro,
Distt. Balasore (Odisha)

REHAN'S
REHAN INTERNATIONAL
WE ARE ON
snapdeal
flipkart
amazon.com
paytm
Ph: 7702857646
rehaninternational@gmail.com
We accept All Debit & Credit Cards

Urfan Ahmed Saigal
9550147334
deco.leathers@gmail.com
DECO
DL
LEATHERS
Genuine Quality
We Undertake Complimentary Orders Also
Manufacture
Address: 1/1/129, Alladin Complex 72, SD Road
Clock Tower, Beside Kamar, Hotel, Secunderabad-3

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

SAKTI BALM

INDICATION: SHAKTI BALM GIVES RELIEF FROM STRAINS CUT, LUMBAGO COUGHS, COLD, HEADACHE AND OTHER ACHESAND PAINS FOMENTATION OF THE AFFECTED PART HELPS TO RELIFE PAIN QUICKLY.

AYURVEDIC PAIN BALM
Prop: SK.HATEM ALI

ALL INDIA AVAILABLE

SOUTH 24 PARGANA, DIAMOND HARBOUR, WEST BENGAL

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

RSB Traders & whole seller

Specialist in Teddy Bear Ladies & Kids items, All Types of Bags & Garments items

Mob: 9647960851
9082768330

Branch: Aroti Tola Po muluk
Bolpur-Birbhum
Head office: Q84 Akra Road
Po.Bartala, Kolkata-18

INDIA MOVES ON EXIDE

M.S.AUTO SERVICE
2-423/4 Bharath Building
Railway Station Road Kacheguda,
Hyderabad.500027(T.s)

Cell :9440996396,9866531100

Fawad Anas Ahmed

GOLDEN GROUP REAL ESTATE

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

दुआओं का आवेदक

DISTT. YADGIR - 585 201
KARNATAKA
Ph. : 9480172891

METRO PLASTIC PRODUCTS

YUBA

QUALITY FOOTWEAR

E-mail:yuba.metro@yahoo.com

{AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY}

H.O & FACTORY : 20 A RADHANATH CHOUDHURAY ROAD
KOLKATA700015,PH :2328-1016

☎ : 06784-230727
Mob. : 9437060325

JANATA
STONECRUSHINGINDUSTRIES

Mfg. :
Hard Granite Stone. Chips, Boulder etc.

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

At - Tisalpur, P.O. - Rahanja,
Distt. - Bhadrak - 756 111

Mob. 9934765081

Guddu Book Store

All type of books N.C.E.R.T, C.B.S.E & C.C.E are available here. Also available books for childrens & supply retail and wholesale for schools

Urdu Chowk, Tarapur, Munger, Bihar 813221

NASIR MAHMOOD
Ph. : 9330538771
7686979536

MANUFACTURER and WHOLE SELLER

Leather Wallats, Jackets, Ladies Bag, Port Folio Bag, Key Chain, Belts etc.

70D Tiljala Road, Kolkata - 700046
e-mail : nasirmahmood.125@gmail.com

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

Cell
9423805546 / 9960071753
9420399786 / 2363271443

Prop.
Hameed Khan Beejali

Creative Computers

Durwankur, Appt. 05, Old, Shiroda Naka,
Tal. Sawantwadi, Distt. Sindhudurg, Maharashtra - 416510

Ziyafat Khan
Mobile
09937845993

Love For All Hatred For None

दुआओं का आवेदक
WASIMA STONE CRUSHER
Pankal, Near Nuapatna Town,
Distt. Cuttack (Odisha)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Mob. : 09986670102
09036915406

Prop.
Fazal-e-Haq
Eajaz-ul-Haq
Anwar-ul-Haq
Rizwan-ulHaq

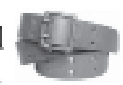

Al-Fazal Garments

Specialist in : School Uniform, Tai, Belt, Jeans, T-Shirts, Shirts etc.

Opp. Krishna Gramina Bank, Beside Sana Medical,
Main Road, Yadgir, Karnataka

पत्रिका के बारे में कृपया अपनी राय (Feedback) अवश्य दें

प्रिय पाठको! धार्मिक भेद-भाव तथा धर्मों के बीच पनप रही नफरत के वर्तमान परिदृश्य में पत्रिका "**राहे ईमान**" के द्वारा हम निरंतर इस्लाम की वास्तविक तथा मौलिक शिक्षाओं से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस पत्रिका को पढ़कर आपको कैसा लगा, हमारे संपादकीय मंडल की ओर से जो लेख इस पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं उनके प्रति आपकी क्या राय है? यह हमें अवश्य बताएं। आपका **फ़ीडबैक (प्रतिक्रिया)** इस पत्रिका को लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक बनाने में हमारी सहायता करेगा।

यदि आपके पास कोई ऐसा सुझाव हो जो इस पत्रिका को और भी बेहतर बना सकता है तो खुद्दामुल अहमदिया भारत (जमाअत के अंतर्गत नौजवानों की संस्था) आपके सुझाव का स्वागत करती है। हमारा इस पत्रिका को बेहतर से बेहतर तथा ज्ञान वर्धक एवं ईमान वर्धक बनाने का प्रयास निरन्तर जारी है। इसके अतिरिक्त भी यदि पत्रिका से संबंधित और भी कोई सुझाव या परामर्श आप हमें देना चाहते हैं तो उसका हृदय से स्वागत है।

आप अपना फ़ीडबैक हमें मज्लिस खुद्दामुल अहमदिया भारत की ईमेल आईडी पर भिजवा सकते हैं और एडिटर या मैनेजर को फोन भी कर सकते हैं :-

Email id- khuddam@qadian.in
Manager- 98156-39670, Editor- 91150-40806

हकम (अर्थात निर्णायक) का काम

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, अहमदिया जमात के संस्थापक फ़रमाते हैं :-

"आंहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "वह (आने वाला मसीह) हकम होगा" जिसके यह अर्थ हैं कि सच्ची बात प्रस्तुत करेगा और इधर-उधर की बातों को दूर कर देगा और हदीसें तो संशय का भंडार हैं, शिया, वहाबी, सुन्नी इत्यादि जो 73 फिरके इस्लाम के हैं सब हदीसों को ही प्रस्तुत करते हैं और 'हकम' का काम है कि वह उनमें तहक़ीक़ करे और जो सच्ची बात हो उसे स्वीकार करे। अन्यथा फिर हर एक फिरके का हक़ बनता है कि उसे (मसीह को) मजबूर करे कि मेरी बात मान, और उसे कहा जा सकता है कि जब एक फिर्के की प्रस्तुत की हुई हदीसों को तुम बिना किसी ऐतराज़ के मान लेते हो तो क्या कारण है कि दूसरे फिरके की हदीसों को भी वैसे ही न माना जाए ? फिर इस अवस्था में वह आने वाला हकम (निर्णायक) क्या रहा? 'हकम' का शब्द बता रहा है कि ऐसे स्थिति में कुछ लिया जाता है और कुछ छोड़ा जाता है।

(मल्फूज़ात जिल्द 3 पृष्ठ 462)